>

Title: Statutory resolution regarding disapproval of Sugar Development Fund (Amendment) Ordinance (No. 4 of 2008) and Sugar Development Fund (Amdnenement) Bill, 2008 (Resolution Withdrawn and Bill Passed).

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं:-

> "कि यह सभा 5 फरवरी, 2008 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित चीनी विकास निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (2008 का संख्यांक 4) का निरनुमोदन करती है। ..(*Interruptions*)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट का समय दे दीजिए।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : त्रिपाठी जी, ज़ीरो ऑवर में आप अपनी बात रख सकते हैं।

â€¦(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing is going on record except what Shri Mohan Singh says.

*(Interruptions) â€¦ **

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD PAWAR): Sir, I beg to move**:

> "That the Bill further to amend the Sugar Development Fund Act, 1982 and the Sugar Cess Act, 1982 be taken into consideration."

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motions moved:

> "That this House disapproves of the Sugar Development Fund (Amendment) Ordinance, 2008 (No. 4 of 2008) promulgated by the President on 5 February, 2008."

> "That the Bill further to amend the Sugar Development Fund Act, 1982 and the Sugar Cess Act, 1982, be taken into consideration."

* Not recorded

* * Moved with the recommendation of the President

SHRI SHARAD PAWAR: Mr. Deputy Speaker Sir, I wish to inform the House that the sugar season 2006-07 had unprecedented surplus production of sugarcane, which resulted in an all time high production of about 283 lakh tonnes of sugar against an estimated domestic consumption of about 190 lakh tonnes.

The surplus production of over 90 lakh tonnes in 2006-07 coupled with an unviable international market where sugar prices were quite low because of an international surplus of about 110 lakh tonnes and an expected surplus production of cane and sugar in 2007-08 sugar season in India and abroad resulted in depressed sugar prices to the tune of Rs.450 to Rs. 600 per quintal in the country. The sugar factories incurred substantial losses and were unable to pay cane dues resulting in accretion of cane price arrears of farmers.

The cane price arrears in June 2007 were Rs.4964 crore. Under the circumstances, the Central Government had to intervene to dispose of the large surplus of sugar. The Government announced a) financial incentives for exports of sugar and b) creation of buffer stock of 50 lakh tonnes and announcement of buffer subsidy for maintenance of the same, with the objective to stabilize prices and improve liquidity position of the factories, so that the arrears of farmers could be cleared.

However, since the sugar surplus was so high and international market still unviable, the cane price arrears of cane farmers

continued to be alarmingly high, despite the steps taken by the Government. There was, therefore, urgent need to further assist the factories with more liquidity support so that the cane dues of farmers could be further cleared.

Decision was accordingly taken by the Government to give loans from banks to the factories against notional excise duty on total production of sugar in 2006-07 and likely production in 2007-08 sugar seasons, with the condition that the loan would be used to pay the cane arrears/dues of farmers. Interest rates of 12 per cent per annum made the loans unattractive and considering that the scheme would be a non-starter, the Government decided to provide full interest subvention on the loans. Without the assurance from the Government regarding the interest subvention and payments of the same within the financial year, the banks seemed reluctant to extend the loans to avoid the liability from appearing in their balance sheet for 2007-08.

Considering the importance of the scheme and its implications for the cane farmers, the Government decided to provide the amount on account interest subvention to the extent of 5 per cent per annum from the budget, and allowed payment of the balance of interest subvention up to 7 per cent per annum from the SDF.[MSOffice25]

Due to heavy losses incurred by the sugar industry during 2006-07 sugar season, the factories did not have adequate working capital or funds to start their factories in time for the 2007-08 season. The delay resulted in diversion of cane to gur or khandsari manufacturers - where the farmers got lesser price for their cane - and in delayed harvesting, which resulted in delayed sowing of wheat crop. The Parliament was not in Session and the farmers were agitating for their dues, and the factories needed funds quite badly, sometimes to even start crushing of cane.

Therefore, Mr. Deputy Speaker Sir, enabling legislative amendments to defray interest subvention and augment the SDF corpus right from 2007-08 financial year, were accomplished through the Ordinance. The Government decided to promulgate the Ordinance without further delay so that the loans get released without actually waiting for the Parliament to meet and pass the necessary legislative amendments.

With the steps taken by the Government by way of buffer subsidy, export assistance and now the loans from banks including interest subvention, the sugar mills have been able to clear a substantial amount of the cane arrears of the farmers. As per latest figures received from the States in 2008, the arrears, excluding current year's dues is about Rs.1090 crore.

I wish to submit that the Ordinance was promulgated by the President of India on 5th February 2008. Banks have already sanctioned about Rs.2482 crore from then with another Rs.464 crore of loan proposals in the pipeline for sanction. Payments have already begun being made to the farmers for the arrears against the sugar season of 2006-07 as also for the cane supplied in the 2007-08 season.

Had the Government not promulgated the Ordinance, about crucial two months would have passed with further accumulation of the cane dues of the farmers. Some sugar factories would not have got started or started later, resulting in loss of cane crop and loss of time to farmers to sow another crop.

Sir, in the end, I may emphasise that the Ordinance has been promulgated in public interest with the sole objective of clearing cane price arrears of farmers, mostly small and marginal, and also ensure timely payments against cane supplies in 2007-08 sugar season.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI): After this legislative business is disposed of, we have two other items in the List of Business; Forward Contracts Regulation (Amendment) Bill and Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Amendment Bill. On behalf of the Government I have today requested the hon. Speaker in writing that Forward Contracts Regulation Bill we would not like to take it up today and the last item regarding Prasar Bharati we would like to take up today.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We will see that later after this Bill is disposed of.

श्री मोहन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ हमारी नियमावली, संसद की परम्परा - उसके अनुसार कोई अध्यादेश जब विधेयक के रूप में सदन के समक्ष विचार के लिये आता है तो उसके लिये निरनुमोदन का पूस्ताव पूस्तुत करने की जो परिपाटी रही है, उसका पालन करते हुये मैं निरनुमोदन का पूस्ताव तो रख रहा हूं लेकिन मेरी मंशा इसे 'डिसअपूव' करने की नहीं है। मैं चाहता हूं कि किसी भी सरकार का यह कर्तव्य है कि वह गन्ना उत्पादकों के हितों का विशेष ध्यान रखे लेकिन साथ ही चीनी उत्पादक कम्पनियों के हितों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। यदि हम चीनी उद्योग को पूरे-पूरे बाजार के हवाले कर देंगे तो किसी भी हालत में, चाहे वह सरकारी हो या सहकारी हो या निजी क्षेत्र् की चीनी मिल हो, वह किसानों का समुचित भुगतान नहीं कर सकती है। अगर हम गन्ने के इतिहास के अलावा चीनी उत्पादकों के इतिहास को देखें तो पायेंगे कि हर तीसरे साल गन्ने का उत्पादन घटता है।[s26]

गन्ने की घटती उत्पादकता को देखकर बाज़ार में चीनी के दाम बढ़ने लगते हैं, यानी डिमांड और सप्लाई का सिद्धांत हर क्षेत्र में लागू है और चीनी और गन्ना के क्षेत्र में यह विशेष रूप से लागू है। जब तीसरे साल गन्ने का उत्पादन कम हो जाता है और चीनी की कीमत बढ़ने लगती है, मिलों को फायदा होता है और गन्ना काश्तकारों को कोई भी कीमत देने की स्थिति में मिलें हो जाती हैं, क्योंकि उनकी अपनी क्षमता भर की पेराई के लिए गन्ना बाज़ार में उपलब्ध हो जाता है, ऐसे में जब एक वर्ष गन्ना काश्तकारों को गन्ने की कीमत अधिक मिलती है तो दूसरे वर्ष में ही गन्ने की बुवाई का एकरेज विस्तृत हो जाता है। नतीजा यह होता है कि गन्ना अधिक होने से चीनी का निर्माण भी अधिक होता है और बाज़ार में जब चीनी अधिक हो जाती है तो उसकी कीमत घटने लगती है और गन्ना मिलें सांसत में पड़ती हैं, झंझट में पड़ती हैं। इसके ही निराकरण के लिए इस देश में चीनी फंड की स्थापना की गई थी कि जब चीनी मिलें परेशानी में पड़ें तो उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हम कुछ उपाय कर सकें। पिछले दो वर्ष का इतिहास देखें तो उत्तर प्रदेश में बड़ी क्षमता की नई चीनी मिलें स्थापित हुई हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इतिहास में गन्ने का सबसे अधिक मूल्य 125 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया। लेकिन यदि पिछले साल के बाज़ार को देखें तो सरकारी गन्ना मूल्य का जो एग्रीड प्राइस था, भारत सरकार एक स्टैच्युटरी प्राइस सर्कुलेट करती है पूरे देश के लिए, लेकिन कुछ राज्य सरकारें चीनी मिलों की सहमति से एग्रीड प्राइस तय करती हैं। उत्तर प्रदेश की ऐसी परिपाटी रही है। भारत सरकार ने 80-85 रुपये प्रति क्विंटल का भाव तय करके भेज दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने 125 रुपये प्रति क्विंटल का भाव निर्धारित किया। लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से चीनी मिलों ने खेत में जाकर गन्ना किसानों को 135-136 रुपये प्रति क्विंटल का भाव उनके अपने ही खेत में दिया। नतीजा यह हुआ कि एक वर्ष के प्रयास से उत्तर प्रदेश के गन्ना काश्तकारों को 19 हज़ार करोड़ रुपये का भुगतान स्वयं कृषि मंत्री जी के अपने शब्दों के अनुसार पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश में वहाँ की चीनी मिलों ने किया था। उसके चलते जहाँ पहले महाराष्ट्र का भारत में चीनी उत्पादन में नंबर एक का स्थान था, उसको छीनकर नंबर एक का स्थान उत्तर प्रदेश ने ले लिया। लेकिन उसका घाटा क्या हुआ? इस वर्ष गन्ना उत्पादन का क्षेत्र इतना बढ़ गया और पिछले साल चीनी का उत्पादन जैसा मंत्री जी ने स्वयं इस बात को कहा है कि भारत के अंदर जितनी चीनी की खपत है, उससे 80-90 लाख टन हमने अपने देश में अधिक उत्पादन किया। चूँकि हमने पिछले 11 वर्षों से भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया, इसलिए दुनिया में जो ठहराव आता है अर्थव्यवस्था का, उसका सीधा असर भारत पर पड़ता है और यदि दुनिया की अर्थव्यवस्था छलांग मारती है तो भारत भी उसमें कुछ रेंगने लगता है और भारत सरकार अपनी पीठ ठोंकने लगती है कि यह तो हमारी नीतियों का प्रतिफल है कि भारत रेंग रहा है। लेकिन जब गिरता है और ठहराव आता है तो भारत सरकार उसकी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं होती। यदि आप आँकड़े देखें तो पिछले तीन महीनों में हिन्दुस्तान का औद्योगिक उत्पादन साढ़े पाँच फीसदी से अधिक गिरा है ठहराव की ओर। उसी तरह कृषि उत्पादन के लिए भारत सरकार संकल्प करती है कि चार फीसदी हो जाए, लेकिन बीच में वर्ष 2001-2002 में तो शून्य फीसदी था। अब दो-ढाई फीसदी के ऊपर आकर रुका हुआ है। यही स्थिति होती है कि जब भारत में चीनी का उत्पादन अधिक होता है तो दुनिया में चीनी का बाज़ार भाव गिर जाता है। जब भारत में गेहूँ हो, चावल हो, सरसों हो या चीनी हो, कुछ भी हो, भारत में जिस खाद्य पदार्थ का उत्पादन कम होता है, दुनिया के बाज़ार में उसकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि खाद्यान्न की खपत सबसे अधिक खरीदकर, भारत जैसे देश में होती है। कृषि मंत्री जी ने हमारे ही प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया कि 2100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हिन्दुस्तान की सरकार को गेहूँ की अंतिम खेप खरीदकर लानी पड़ी। [h27]

उसका कारण यह है कि हमारे देश की कमी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमत बढ़ गई और आसमान छूने लगी। हमारे देश के अतिरिक्त उत्पादन को देख कर चीनी की कीमत दुनिया में कम हो गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि दीवालियेपन की स्थिति में हिन्दुस्तान की चीनी मिलें हो गई और गन्ना काश्तकारों के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ। अभी थोड़े दिन पहले सदन में यह बात आई थी और मंत्री जी ने उसे स्वीकार किया, आपने सहायता देने की कोशिश की। इस फंड से पहली बार नहीं, जब राजनाथ सिंह जी भारत के कृषि मंत्री थे तो उन्होंने भी इस फंड से पैसा देने की कोशिश की कि उनका समय से भुगतान हो जाए। जैसे मैंने कहा कि हर तीन साल के अंतराल पर चीनी और गन्ने के उत्पादन, उसके निर्माण एवं उसकी कीमत में ठहराव तथा कमी आती है, उसका असर आज से तीन साल पहले भी था। उस समय उनकी सरकार की कोशिश थी कि हम से इसी तरह पैसा लेकर चीनी मिलें भुगतान कर दें और बाद में तीन साल के इंस्टालमेंट पर हमारा भुगतान भारत सरकार करती रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी भारत सरकार से केवल इतनी शिकायत है, अपनी तरफ से कृषि मंत्री जी और भारत सरकार ने कोशिश की कि इस फंड से फ्री इंटरेस्ट लोन दे दें। किसानों पर भारत सरकार ने बड़ी कृपा की है, ये कहते हैं कि हम सात फीसदी पर किसानों को ऋण दे रहे हैं, यह तारीफ की बात है, लेकिन चीनी मिल-मालिकों को आपने शून्य प्रतिशत पर दे दिया। चीनी मिलों के इस ऋण के ऊपर जो ब्याज है, स्वयं मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया कि हम उस इंटरेस्ट का पांच फीसदी भुगतान भारत सरकार के बजट से और सात फीसदी, हमारी जो चीनी निधि है, उस पैसे से करेंगे। इंटरेस्ट का कोई भार गन्ना मिलों के ऊपर नहीं आएगा। किसानों के ऊपर भारत सरकार का जो दया का दायरा है, वह कुछ सीमित है और चीनी मिलों के ऊपर जो आशीर्वाद का दायरा है, वह ज्यादा विशाल है। उनके ऊपर ज्यादा मेहरबानी है कि तुम भी जीवित रहो, हम तुम्हें जो कर्जा देंगे, वह शून्य फीसदी पर होगा और किसानों को बचाने के लिए हम जो कर्जा देंगे, उस कर्ज़े की रकम सात फीसदी होगी। उसके बाद ये प्रचार करेंगे कि हम किसानों की भरपूर सेवा करने में लगे हैं, लेकिन दूसरा पक्ष इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आपकी मंशा को हम चुनौती नहीं देते, इसके पीछे इतनी ही मंशा थी कि चीनी मिलें गन्ना काश्तकारों के मूल्य का भुगतान कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय, हम दुख के साथ कहना चाहते हैं कि भारत सरकार की इस कोशिश के बावजूद चीनी मिलों ने गन्ना काश्तकारों के खरीद का इस वर्ष का कोई पैसा नहीं दिया। कृषि मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया था कि उत्तर प्रदेश की सबसे खराब हालत है। उनके पिछले हफ्ते सदन में दिए गए वक्तव्य के अनुसार, आज भी उत्तर प्रदेश की गन्ना मिलों पर वहां के काश्तकारों का एक हजार नौ करोड़ रुपया बाकी है। यह इस वर्ष के सीजन का आधा पैसा है, मैं ऐसा समझता हूं कि पूरा सीजन होने तक ढाई हजार करोड़ से अधिक केवल अकेले उत्तर प्रदेश के गन्ना काश्तकारों के गन्ने के मूल्य का भुगतान शेष रह जाएगा। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पंजाब में भी यही हालत है।

श्री मोहन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से हम यह विनती करना चाहते हैं कि जब भारत सरकार इतनी कृपालु है तो चीनी मिलों से इस बात की भी गारंटी लेनी चाहिए कि 15 दिन के भीतर हम जो पैसा अपने फंड से दे रहे हैं, वह पैसा किसानों को समय पर मिलना चाहिए। यदि उसके भुगतान में एक महीने से अधिक देरी हो तो उसका भुगतान चीनी मिल को सूद सहित, उस मूल्य का भुगतान गन्ना काश्तकारों को करना पड़ेगा। यह प्रावधान भारत के कृषि मंत्री जी को किसानों के हित में करना चाहिए। इन थोड़े से सुझावों के साथ मैं इस बात का आश्वासन मंत्री जी से चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के गन्ना काश्तकारों का और साथ ही साथ देश भर के गन्ना काश्तकारों के खरीद का भुगतान एक महीने के भीतर हो। यदि मंत्री जी ऐसा आश्वासन हमें देंगे तो यह जो डिसएप्रूवल का प्रस्ताव है, मैं इन्हें वचन देता हूं कि हम इनके विधेयक का पूर्णतया समर्थन करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: यू.पी. के साथ पंजाब को भी इन्क्लुड कर लेना चाहिए।[rep28]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, चीनी विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2008 माननीय मंत्री जी ने सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है, जिस पर सदन विचार कर रहा है। माननीय मंत्री जी की इच्छा शक्ति या उनकी नीयत पर हमें संदेह नहीं है, लेकिन जो हमारे सहयोगी माननीय मोहन सिंह जी ने कहा कि चीनी मिलों पर तो माननीय मंत्री जी कृपा कर रहे हैं, परन्तु इस देश के किसान, जिनके संरक्षण के लिए इस प्रकार की नीतियां बनाई गई थीं, वह इसमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा है और न कहीं दिखाई दे रहा है। हम इस बात को बड़े दुख के साथ कहते हैं कि सरकार की इन्हीं गलत नीतियों के कारण पिछले 10 वर्षों में देश के डेढ़ लाख से अधिक किसान आत्महत्याएं कर चुके हैं और आज भी वह क्रम लगातार जारी है, फिर चाहे वह विदर्भ का मामला हो जो माननीय कृषि मंत्री जी के गृह राज्य में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में किसान लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहां से हम लोग चुनकर आते हैं, वह सचमुच इस देश का वृहद् गन्ना उत्पादन का क्षेत्र है।

महोदय, आजादी से पहले, 1920 और 1930 के दशक में वहां चीनी मिलें स्थापित हुई थीं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जितने भी छोटे-बड़े कस्बे हैं, उन सब के विकास में चीनी मिलों ने अपना योगदान दिया है। उन चीनी मिलों के नाम पर ही उन कस्बों का नामकरण और उस क्षेत्र का विकास हुआ है। हम आज दुख के साथ कहना चाहते हैं कि उस क्षेत्र का किसान "खून के आंसू बहा रहा है" और सरकारें चैन की नींद सो रही हैं। गन्ना किसान अपनी खड़ी फसल को खेतों में आग लगाकर जला रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसके पिछले गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं हुआ और इस बार के गन्ने के मूल्य का भी भुगतान नहीं होगा।

महोदय, शुगर डैवलपमेंट फंड चीनी मिलों के जीर्णोद्धार, एक्सपेंशन करने और उनके मॉडर्नाइजेशन हेतु बनाया गया था, किन्तु ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के अन्तर्गत चलने वाली जितनी भी चीनी मिलें हैं, वे या तो पुरानी पड़ चुकी हैं, बन्द पड़ी हुई हैं या फिर उनकी इतनी क्षमता नहीं कि वे प्रतिस्पर्धा में जो आधुनिक चीनी मिलें हैं, उनका मुकाबला कर सकें और इसी का परिणाम है कि उन चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का करोड़ों रुपया वर्षों से बकाया है, फिर वे चाहे सरकारी क्षेत्र की चीनी मिलें हों, सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलें हो या निजी क्षेत्र की हों। गोरखपुर में निजी क्षेत्र की एक चीनी मिल है, जिस पर पिछले छः वर्षों से लगभग 30 करोड़ रुपए, गन्ना किसानों के बकाया हैं और उन 30 करोड़ रुपयों को अभी तक देने का कोई नाम नहीं ले रहा है और न उस पर कोई ब्याज ही दिया जा रहा है और वह शुद्ध रूप से गन्ना किसानों का बकाया है। उसे देने की अब तक कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार ने अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है कि चीनी मिलें गन्ना किसानों के बकाया मूल्य का भुगतान कर सकें। यह आश्चर्यजनक है कि क्यों चीनी मिलों द्वारा पिछले सालों के गन्ना किसानों के बकाया धन का भुगतान नहीं किया जा रहा है? सरकार की गलत नीतियों के कारण पूर्वी उ. प्र. की अधिकतर चीनी मिलें या तो जर्जर स्थिति में है अथवा बन्द पड़ी हैं। गन्ने के उत्पादन के बारे में बताया गया कि पिछले दो वर्षों में गन्ने का अधिक उत्पादन हुआ। वहां के किसानों ने गन्ना उत्पादन भी किया क्योंकि डिमांड थी, इसलिए वहां किसानों ने डिमांड के अनुसार गन्ना पैदा किया, लेकिन उत्पादन के साथ आज जिस प्रकार की स्थितियां पैदा हुई, वे ठीक नहीं हैं। सरकार गन्ने का मूल्य घोषित करती है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि चीनी मिलों को 125 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ना किसानों को भुगतान करना चाहिए, परन्तु सचाई कुछ और है। अगर आज गन्ना किसान, अपना गन्ना चीनी मिलों तक ले जा रहा है, तो 80 से 82 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने के मूल्य का भुगतान बमुश्किल हो रहा है। यह मूल्य भी उन लोगों को मिल रहा है, जिनके पास साधन हैं, शक्ति है और जो समर्थ हैं। सामान्य और गरीब किसान तबाह होता जा रहा है, क्योंकि उसे अपने गन्ने की पर्ची तक नहीं मिल पा रही है। जब उसे गन्ने की पर्ची प्राप्त नहीं होगी, तो वह अपना गन्ना, गन्ना माफियाओं को 35 से 40 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर बेचने को मजबूर हो रहा है, क्योंकि शासन ने कहीं कोई व्यवस्था नहीं की है।[r29]

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा गन्ना किसान को उसके गन्ने का मूल्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार 125 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर खरीदने के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए जो बचा हुआ गन्ना है, उसे वह खेत में ही जलाने के लिए मजबूर हो रहा है। माननीय मंत्री जी ने कुछ प्रावधान किए हैं, लेकिन जब तक इन प्रावधानों से किसान सीधे लाभान्वित नहीं होंगे, तब तक इस प्रकार की नीतियों को परिवर्तित करने और उन्हें संशोधित करने का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा और जानना चाहूंगा कि हम लोग जब किसानों के हित की नीतियां बनाते हैं, तो किसान हमारी नीतियों के दायरे में सीधे क्यों नहीं आते? आखिर चीनी मिल मालिक ही क्यों, आखिर बड़े कास्तकार ही क्यों उनका लाभ उठाते हैं, जो अपना संरक्षण कर लेते हैं? हम बैंक लोन तो माफ करते हैं, लेकिन बैंक लोन में कौन से व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं, यह नहीं देखते हैं। बैंक से जो लोग लोन लेते हैं, वे ही लाभान्वित होते हैं। किसी गरीब किसान को बैंकों से लोन कहां मिलता है? यह असंभव है या बहुत ही कठिन है। इन स्थितियों में माननीय मंत्री जी ने जो बात कही थी कि पहले शुगर डैवलपमेंट फंड में जो 15 रुपए जाते थे, उसे अब वे बढ़ाकर 25 रुपए कर देंगे। इसके अलावा उन्होंने और भी प्रावधान किए हैं उनमें एक यह भी है कि बैंक चीनी मिलों को जो लोन देंगे, उससे उनका जीर्णोद्धार होना चाहिए। हम मानते हैं कि चीनी मिलों का जिर्णोद्धार होना चाहिए, उनका आधुनिकीकरण होना चाहिए, लेकिन इसके साथ-साथ माननीय मंत्री जी ने यह प्रावधान भी किया है कि जो ऋण वे लें, उससे वे किसानों का भुगतान करें, लेकिन यह हो नहीं रहा है। वास्तविक स्थिति में ऐसा कहीं नहीं हो रहा है और खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि वहां किसानों को चीनी मिलों द्वारा उनके गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से इस बात का पुरजोर अनुरोध करूंगा कि अगर इस प्रकार का प्रावधान करना ही है, तो सामान्य उपभोक्ता पर, चाहे 10 पैसे ही एक किलो ही भार आता होगा, कम से कम उपभोक्ता और किसान को उसके दायरे से मुक्त कर के चीनी मिलें उस भार को वहन करें, क्योंकि अब यह तय है कि चीनी मिलें एक तो किसानों के गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं कर पा रही हैं और दूसरे वहां कम भी तोलती हैं। वहां कोई जांच करने वाला नहीं है। अन्ततः किसान ही उसका शिकार होता है। फिर चाहे चीनी मिलों के द्वारा उनके साथ जो कदाचार तोल के माध्यम से किया जा रहा है या फिर गन्ना मूल्य का भुगतान न कर के। जैसा मैंने कहा कि इस बात की क्या गारंटी है कि चीनी मिलें किसाने के गन्ने के मूल्य का भुगतान 125 रुपए प्रति क्विटंल से ही करेंगी, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद अब तक ऐसा नहीं हो रहा है। वहां कोई चीनी मिल गन्ना किसान को इस दर पर भुगतान नहीं कर रही है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि यद्यपि आप अच्छी नीयत से इस विधेयक को लाए होंगे, तथापि ऐसी व्यवस्था करें कि उस दायरे में केवल चीनी मिल मालिकों का ही लाभ न हो, बल्कि चीनी विकास निधि, गन्ने को पेरने के बाद जो चीनी उत्पादित होती है, आखिर उसके मूल में किसान है, किसान का ही गन्ना है, इसलिए किसान भी उससे सीधे लाभान्वित हो सके। इस प्रकार की व्यवस्था, इसमें संशोधन के माध्यम से लाई जाए। इस बात के लिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा। इसके साथ-साथ मेरा अनुरोध यह भी होगा कि चीनी मिल मालिकों द्वारा जो ऋण उन्हें शुगर विकास निधि से प्रदान किया जाए, वित्तीय संस्थाओं या बैंकों से उन्हें जो लोन उपलब्ध कराया जाए, वहीं यह व्यवस्था भी की जाए कि किसान को उसके गन्ने के बकाया का भी भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं।

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। इस बिल के समर्थन और रिजोल्यूशन के विरोध के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। श्री मनमोहन सिंह जी ने भी कहा और मुझे भी यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह बिल सही समय पर और एक सही काम

हेतु लाया गया है। इसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसानों के गन्ने के बकाया मूल्य का भुगतान समय पर हो जाए, इस हेतु हमें मंत्री जी की ओर से आश्वासन मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, सब लोगों को पता है कि वर्ष 1982 से शुगरकेन डैवलपमेंट फंड चल रहा है। अब तक इस फंड में लगभग 4,400 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं और उसमें से लगभग 3,500 करोड़ रुपए इस फंड में ट्रंसफर हो चुके हैं। हर साल टैक्नीकल अपग्रेडेशन होता है, किसान के गन्ने की उपज बढ़ाने का काम होता है और खेती में टैक्नौलौजी ट्रंसफर होती है। [r30]

मैं हमारे कृषि मंत्री, यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी और श्री मनमोहन सिंह का अभिनन्दन करना चाहूंगा क्योंकि दो साल पहले गन्ने के किसानों के लिए सरकार ने 1300, 1400 और 1500 रूपये दाम तय किए थे, लेकिन उनको 1000 रूपये और 900 रूपये मिल रहा था। वर्ष 2004-05 में 16 रूपये, वर्ष 2005-06 18 रूपये और वर्ष 2006-07 में 17 रूपये था। आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि हमारे देश में चीनी मिल का स्टाक कितना है? वर्ष 2003 में हमारा कैरीओवर स्टाक 40 लाख टन था, जबकि 113 अन्य प्राडक्शन, 101 लाख टन शुगर प्रोडक्शन, 41 लाख टन इम्पोर्ट शुगर, टोटल एवैलेबिलिटी 314.92 लाख टन और इन्टरनल कन्ज़म्पशन 183 थी। इसीलिए 115 लाख टन हुआ था और 116 हमारा क्लोजिंग स्टॅक था। वर्ष 2005-06 में हमारा कैरीओवर स्टॅक 40 लाख टन था, प्राडक्शन शुगर 59 लाख टन, इम्पोर्ट शुगर 3.62 लाख टन और टोटल एवैलिबिटी 233.21 टन था। इन्टरनल कन्ज़म्पशन 183.21 और एक्सपोर्ट 13.61 था। पिछले साल 2 लाख 87 हजार टन गन्ने का उत्पादन हुआ था। इस साल 2 लाख टन चीनी का उत्पादन कम होगा। इसका कारण यह है कि किसान को समय पर पैसा नहीं मिल रहा है। मनमोहन सिंह जी के कहने पर किसान ने गन्ने के अलावा दालें इत्यादि फसल बोना शुरू किया। तीन साल से किसानों का बकाया बढ़ रहा था। इसके बाद शुगर पैकेज आया। उसने टर्म लोन लिया, लेकिन उससे भी काम नहीं बना। इन्टरनेशनल मार्किट में चीनी के जो दाम थे, उससे कई गुना हमारे यहां कम थे। एक्सपोर्ट करने में भी घाटा हो रहा था क्योंकि वर्ष 2000 में विदेश में 1300-1400 रूपये प्रति क्वींटल दाम थे, जबकि यहां 900 रूपये प्रति क्वींटल चीनी का दाम था। सरकार ने एक्सपोर्ट पर सब्सिडी भी दी थी। लेकिन वह सब्सिडी डालर के मुकाबले रूपये के बढ़ने के कारण कामयाब नहीं रही। इसके कारण चीनी का एक्सपोर्ट कम हो गया है, क्योंकि एक्सपोर्टर्स को घाटा हो रहा है।

आपने इस साल नौ रूपये एक्साइज डयूटी को फिर से बढ़ा दिया है। इसके अलावा आपने तीन रूपये सेस भी लगाया हुआ है। कुल मिलाकर 97 रूपये हो गए हैं। केन डेव्लपमेंट फण्ड 14 से बढ़कर 25 रूपये हो गया है। चीनी का पैसा किसान से लेते हैं और किसान को ही देने का प्रयत्न करते हैं। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मनमोहन सिंह जी सही नहीं हैं, गलत हैं, क्योंकि 12 रूपये विदाउट इंटरेस्ट चीनी पर ऋण दे रहे हैं, सात प्रतिशत भारत सरकार अपने बजट से दे रही है, लेकिन सात प्रतिशत केन डेव्लपमेंट फण्ड से किसको जा रहा है? यह पूरा पैसा चीनी मिलों को जा रहा है और उन्हें यह इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि गन्ने का बकाया और एरिअर्स चुका दें। इसके अलावा उन पर लेबर्स का भी काफी बकाया है, बैंकों का बकाया है। इसलिए किसानों, लेबर और बैंकों का भुगतान किया जाना चाहिए। महोदय, हमारा यह फण्ड माडर्नाइजेशन के लिए है। हमारे हिन्दुस्तान में आंकड़ों के अनुसार 552 चीनी मिलें हैं, उसमें से शायद 242 निजी चीनी मिलें हैं। मुझे लगता है कि इन आंकड़ों में कुछ गलती है। मेरे ख्याल से 552 में से 500 सहकारी में हैं और 42 मिलें पब्लिक सेक्टर में हैं। सहकारी सेक्टर में दो तरह की चीनी मिलें हैं, निजी चीनी मिलें और कॉपरेटिव चीनी मिलें[r31]।

मैं यह चाहूंगा कि कोआपरेटिव चीनी मिल के पास तो कोई रास्ता नहीं है, जैसे निजी चीनी मिल तो आई.पी.ओ. में, स्टाक एक्सचेंज में चली जाती है, स्टाक एक्सचेंज में जाने के बाद उनके शेयर की कीमत भी बढ़ती है, उसको आई.पी.ओ. भी करते हैं, एक्सपेंशन भी करते हैं, पावर प्लांट भी लगाते हैं, एथेनोल भी लगाते हैं, हालांकि वह तो एस.डी.एफ. में ज्यादा आता नहीं है, लेकिन सहकारी चीनी मिल में हम तो मैम्बर के अलावा किसी से पैसा नहीं लेते। आपके पंजाब में भी तो सहकारी आन्दोलन की चीनी मिल है, इसलिए हमको तो शुगरकेन डैवलपमेंट फंड के अलावा कोई सहारा नहीं है।

जैसे एथेनोल की बात है, एथेनोल में 21.50 रुपये पूरे देश के लिए कीमत तय हुई। आज भी महाराष्ट्र में मंत्री जी को पता है कि एथेनोल इतना कम पैट्रोलियम कम्पनी लेती नहीं। वे कहती हैं कि हमारा टेंडर 19 रुपये का है। यह केबिनेट में तय हुआ है। सरकार ने मुम्बई में मीटिंग करके इसे तय किया है, लेकिन अभी काफी एथेनोल कम्पनियां नहीं ले रही हैं। इसके ऊपर भी मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि उसके ऊपर ध्यान दें। इसके लिए मैं कह रहा हूं कि बैगास से हम बिजली बनाने की बात कर रहे हैं, वह भी एस.डी.एफ. से हम फंड दे रहे हैं। यह तो एक ठीक बात है कि चीनी मिल के लिए एक इंटीग्रेटिड प्रोजैक्ट होना चाहिए। जब चीनी मिल लगाएंगे, तब खाली चीनी मिल नहीं लगाएंगे, उससे बिजली भी बनाएंगे, एथेनोल भी बनाएंगे, हाई प्रैशर बॉयलर भी लगाएंगे। कई पुरानी चीनी मिलें ऐसी हो गई हैं कि उनमें हाई प्रैशर बॉयलर की जरूरत है, कहीं टैक्नोलोजी ट्रंसफर की जरूरत है, नई तंतू नीति लाने की जरूरत है, लेकिन वह हाई कास्ट हो जाती है और हाई कॉस्ट होने के कारण फिर उसकी कीमत बढ़ जाती है। उत्पादन की, चीनी की कीमत बढ़ने के कारण फिर वह चीनी मिल घाटे में चली जाती है, कोआपरेटिव चीनी मिलों की खास कर मैं बात कर रहा हूं।

दूसरे मैं यह भी बात कर रहा हूं कि एग्रो प्रोसेसिंग चीनी मिल जैसा एक और भी फंड हो जाये, जो एग्रो प्रोसेसिंग में कोआपरेटिव यूनिट आएगी, जो हमारी बाकी भी फसल होती हैं, उसके लिए भी थोड़ा फंड हो जाये और उसके कारण हम एग्रो प्रोसेसिंग कोआपरेटिव में लगायें, उसका कुछ पैकेज बनाकर किसान को सही दाम मिले। आज किसान कहां आत्महत्या कर रहा है, जहां किसान को ठीक दाम नहीं मिल रहा है, लेकिन गन्ने के दाम इस समय तो ठीक मिल रहे हैं, चीनी के दाम भी इस समय ठीक हैं, लेकिन आज अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट में चीनी के दाम हमारे यहां से इतने कम हैं, जिसके हिसाब से हमें जितना लाभ होना चाहिए, उतना लाभ नहीं हो रहा है। यह बात ठीक है। यू.पी., बिहार में हमारी चीनी मिलें किसान को कितना दाम दे रही हैं, कितना नहीं दे रही हैं, मुझे इसका इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जब हमने हाई टैक्नोलोजी की तरफ जाना है, भारत सरकार ने इसके लिए एक टैक्नोलोजी मिशन भी बनाया है। टैक्नोलोजी मिशन ने क्या काम किया है, कितना काम किया है, उसकी एकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। कितनी चीनी मिलों को कितनी टैक्नोलोजी की उन्होंने भुगतान किया है और चीनी मिल को पैसे देने के बाद उससे कितना उत्पादन बढ़ा, कितनी रिकवरी बढ़ी, क्योंकि टैक्नोलोजी ट्रंसफर टैक्नोलोजीकल अपग्रेडेशन के बाद हमारी रिकवरी बढ़नी चाहिए।

हमारे जो 16 जोन हैं, उसके ऊपर हमारी लेवी चीनी के दाम तय हो जाते हैं। आज कई बार लेवी के दाम कम होते हैं और मार्केट में चीनी के दाम ज्यादा होते हैं। मार्केट में दाम ज्यादा होने के कारण चीनी मिल लेवी वाली सरकार उठाती नहीं है, कोई कांट्रैक्टर नहीं उठाता है, फिर जब बाजार में चीनी मिल के दाम कम हो जाते हैं और लेवी चीनी के दाम ज्यादा होते हैं, पिछले साल में जैसी स्थिति हुई तो सब राज्य सरकारें और जो निजी कांट्रेक्टर होते हैं, वे पूरी लेवी की चीनी उठाते हैं, क्योंकि, वह चीनी किसके पास जाती है, बिलो पावर्टी लाइन वाले को जाती है या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाती है या नहीं जाती है या वहां क्या होता है, यह जानकारी सब को है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि जब यह स्थिति आती है तो मिनिमम प्राइस कैसा होता है। हमारा पिछले साल और इस साल तो 81 रुपये कुछ पैसे प्राइस है, अभी और भी बढ़ेगा। मैं यह चाहूंगा कि लेवी के दाम जब कम होते हैं और कम से कम जो फ्री सेल के प्राइस आपने लिए हैं, उसी हिसाब से लेवी के दाम तय होने चाहिए। उसके दाम कम हो जाते हैं तो सरकार को कम से कम उसके ऊपर कम्पेंसेशन देना जरूरी है। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि चीनी के लिए निर्यात और आयात की एक दस साल की नीति होनी चाहिए। साल दो साल में मन में आया, चीनी का आयात किया, दिल में आया चीनी बाहर जाने से रोक दी, इससे चीनी उद्योग और किसान, दोनों को घाटा हो रहा है। चीनी में तीन साल, पांचसाल के बाद एक साइकिल आता है, हर बार दो साल अच्छे होते हैं, किसान का तीसरा साल खराब होता है। दो साल मिल का भी घाटा होता है और किसान को भी घाटा होता है और गन्ने की उपज इतनी कम हो जाती है कि फिर मिल की स्पर्धा हो जाती है कि कौन किसका गन्ना ज्यादा खरीद ले। इसीलिए 10-15 साल की गन्ने की और चीनी की एक दीर्घकालीन नीती हो। चीनी हमेशा

एक राजनीति का विषय रहा है।[R32]

चीनी के दाम हमेशा राजनीति का विषय रहे हैं, गन्ने के दाम हमेशा राजनीति का विषय रहे हैं, लेकिन हम राजनीति के बाहर आकर चीनी मिल, चीनी और गन्ने के लिए कोई हमेशा के लिउ दीर्घकालिक नीति बनायें। पहले ड्वेल प्राइसिंग कंट्रोल सिस्टम था, इसमें पहले 40-60 था, फिर 50-50 हो गया, फिर 60-40 फिर 70-30, अभी 90 प्रतिशत फ्री सेल है और 10 प्रतिशत लेवी सुगर है।

महोदय, मैंने अखबार में पढ़ा है कि इसमा, जो निजी उद्योगों का एक संगठन है, वह चाहता है कि चीनी उद्योग पर नियंत्रण बिल्कुल खत्म कर दिया, इसे डी-रैग्युलेट कर दिया जाए और दीर्घकालीन कर दिया जाए। मैं कहना चाहूंगा कि कुछ समय तक इसे डी-कंट्रोल करना या डी-रैग्युलेट करना अभी ठीक नहीं है, क्योंकि पता नहीं कि अगले साल क्या साइकल आएगी? हाल में विदेश में भी चीनी के दाम थोड़े बढ़ रहे हैं और हिंदुस्तान में अभी चीनी के दाम ठीक हैं। सभी चीनी मिलें भी वैसे ही काम कर रही हैं, पैकेज का पैसा तो उनको मिल ही रहा है। उन्हें पिछले साल का भी पैसा मिल रहा है और इस साल का भी मिलेगा, लेकिन राज्य सरकार को देखना जरूरी है कि यह दाम किसान के पास तक पहुंचता है या नहीं।

महोदय, केंद्र सरकार चीनी मिल को पैसा देती है, लेकिन जब राज्य सरकार एक एडवाइजरी प्राइज कमेटी तय करती है, तो उनका यह फर्ज है कि भारत सरकार ने जो पैकेजेज दिए हैं, उन पैकेजेज के हिसाब से दाम किसानों को मिलते हैं या नहीं, उसे देखे। अगर वे यह सब नहीं देखेंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? हमारे कृषि मंत्री जी इसके जानकार हैं। उनको पूरी तरह से पता है कि चीनी मिल की क्या स्थिति होती है, लेकिन साथ ही साथ राज्य सरकार को भी थोड़ा जिम्मेदारी उठानी है।

महोदय, आपने बेल बजायी है, अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस बिल का समर्थन करना जरूरी है और जो सुगरकेन डेवलपमेंट फंड है, इसका और भी विस्तार होना चाहिए, क्योंकि जब-जब समय आता है, तब-तब हम अमेंडमेंट करते हैं। कई बार इसका अमेंडमेंट हो चुका है। एक कांप्रिहैंसिव बिल लाया जाए, जिससे सरकार को पूरा अधिकार हो। चीनी मिल और किसान की जो समस्यायें आती हैं, उन समस्याओं से निपटने के लिए उस बिल से एक महत्वपूर्ण काम लेना है और इसके लिए सही काम करें, इसके लिए मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा। मैं पुनः मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आर्डिनेंस बिल्कुल सही समय पर निकाला। आपको पता है और मंत्री जी ने भी बताया कि गन्ने की मिल दो महीने लेट शुरू हुयीं, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि उनका क्या होने वाला है? दिसंबर में आर्डिनेंस नहीं हो जाता, तो और भी एक महीना चीनी मिलें लेट हो जातीं। इससे किसान की हालत और भी खराब हो जाती। हमारे मित्र कह रहे थे कि अभी किसान गन्ना जला रहे हैं। वे दो महीने लेट हो गए। अक्टूबर-नवंबर में मिलें चालू होनी चाहिए थीं, लेकिन दिसंबर के आखिर में और जनवरी में ये शुरू हुयीं। इसी कारण आर्डिनेंस सही समय पर निकाला। जो निर्णय हुआ, इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं और आपने बेल बजायी है, इसलिए आपका आदर करते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं।

DR. BABU RAO MEDIYAM (BHADRACHALAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak on this Bill. I oppose the Statutory Resolution disapproving the Ordinance and I would like to support the Sugar Development Fund (Amendment) Bill. This is a welcome measure. While supporting this Bill, I would like to voice some doubts and also give some suggestions to the Government.

Sir, production of sugar and sugarcane has increased during the last two crop seasons, but the market price of sugar has decreased. This goes against the market rule and so, between the end product sugar and sugarcane which is the raw material, the farmer is the worst sufferer because he is being linked with the industrial interests. The Sugar Development Fund which is intended to help the farmer is primarily given to the sugarcane crushing units and that too at the market price of the end product, not at the buying price of sugarcane.

Today, the condition of sugarcane growers is very miserable. For example, in my own State of Andhra Pradesh there are about 4,25,000 sugarcane growers. This year they are not able to plant sugarcane and almost out of 6 lakh acres usually planted, this time in 90,000 acres they are not able to plant sugarcane.[R33] [r34]They are in indebtedness and there are over dues for the last two crop years. They have not been given their dues properly by the industries. So, almost Rs.65,000 crorer are due to the sugarcane farmers in my State.

While, in almost 38 units, where sugarcane crushing is going on, people are getting loans, subsidies on transport, etc. and so many other benefits, the actual grower is at a loss. He is not able to grow more now. He is almost on the verge of indebtedness and burning his own crop instead of sending it to the factory. The factory people are not giving cutting permission at the right season and are also deceiving the sugarcane growers. In this respect, I would like to humbly submit that a separate fund should be allocated for the growers and this should be separated from the crushing units. That will be very useful to the growers.

Secondly, the Minimum Support Price, which is being promised, is not being observed by the crushing units. They are paying less than Rs.950 per tonne, whereas the recommended amount is Rs.1,500 per tonne. The M.S. Swaminathan Committee recommended for Rs.1,800 per tonne, but it was never followed in any part of the country. Hence, the remunerative price should be ensured and should be given in time to the cane growers. This should be given separately.

While supporting this amendment Bill, I would like to submit that the 'L' Formula, which is supposed to help the cane growers and is not being declared so far, should be declared as early as possible. The farmer is still at a loss. So, I would like the Agriculture Ministry to look into this formula and declare it immediately and thereby help the farmers.

श्री सीताराम सिंह (शिवहर) : महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी जो चीनी विकास निधि विधेयक सदन में लाए हैं, उसका मैं ह्दय से समर्थन करता हूं। सोच बहुत अच्छी है, उद्देश्य बहुत अच्छा है, इसलिए मैं इसका समर्थन कर रहा हूं। इसमें दो-तीन बातें जो किसानों और मिलों के बीच की हैं, मैं स्पष्ट रूप से उनका उल्लेख करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि इस विकास निधि में जो व्यवस्था 1982 से है और सरकार ने इस संदर्भ में जो कदम उठाए, जब-जब भारत सरकार ने इस निधि से मिल मालिकों को पैसा निकालकर दिया, चाहे वह प्राइवेट सैक्टर का हो, पब्लिक सैक्टर का हो, कॉरपोरेट सैक्टर का हो, यह बात सुनिश्चित नहीं हो पाती कि वह पैसा किसानों को मिल जाएगा। दूसरी बात है कि यदि पैसा मिल भी जाए तो उसकी कोई समय सीमा नहीं है, भुगतान की कोई तारीख नहीं है, जब तक मन में नहीं आए, तब तक नहीं मिले और यदि साल भी लग जाए तो कोई परवाह नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस विधेयक को जिस उद्देश्य से लाए हैं, तो जो पैसा किसानों के भुगतान के लिए देंगे, जो आज पूरे देश में परेशान हालत में हैं, जब आप जवाब दें और इसे पास कराएं, उन्हें कितनी समय सीमा के अंदर भुगतान कर दिया जाए, इसे सुनिश्चित करने की बात भी सदन में रखी जाए।[N35]

15.00 hrs.

दूसरी बात, मैं गन्ना मूल्य के बारे में कहना चाहता हूं। भारत सरकार गन्ना मूल्य के बारे में यहां से जो निर्देश देती है, उसे देखकर राज्य सरकार मिल मालिकों के साथ बैठकर मूल्य तय करती है। यह रेट अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तय किये जाते हैं और पूरे देश के स्तर पर इनमें कोई मेल नहीं होता। माननीय सदस्य मोहन सिह जी अभी बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट अलग है। अब बिहार में कोई रेट ही नहीं है। राज्य सरकार के साथ गन्ना मिल मालिक बैठकर किसानों के भाग्य का निर्धारण करते हैं। इस बैठक में किसान का प्रतिनिधि कभी नहीं बैठता। मैं इस विधेयक के माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यदि आप किसानों के हित की बात सोचते हैं, तो क्या किसान के प्रतिनिधि को भी उस बैठक में बैठने की इजाजत देंगे और जो मूल्य का निर्धारण होगा, उसमें कोई एकरूपता होगी?

तीसरी बात, मैं कहना चाहता हूं कि चीनी मिल मालिक इस वर्ष जो गन्ना ले रहे हैं, उसका मूल्य वे किस परिस्थिति में पर्चे पर नहीं लिख रहे हैं। हमारे बिहार में कई मिलों में यह मूल्य नहीं लिखा जा रहा है। चौथी बात यह है कि पिछले साल हमारे बिहार में गन्ने के खेतीहर किसानों का गन्ना जून महीने तक खराब हो गया। उनका गन्ना चीनी मिल मालिक नहीं ले पाये। वे उस गन्ने को जला नहीं पाये, सूखा नहीं पाये। इस कारण वह गन्ना खराब हो गया। हमारी समझ में यह नहीं आता है कि यह कौन सी नीति है? मैं किसान की हैसियत से यह बात बोल रहा हूं। किसान जब खेत में गन्ना लगाता है, तो उसका एरिया जिस चीनी मिल में पड़ता है, वहां उसका गन्ना न जाये, तो उनका क्या होगा? अब चीनी मिल मालिकों को इसकी कोई परवाह नहीं होती, कोई जवाबदेही नहीं होती। यह कौन सा कानून है, कौन सा नियम है? मैं चाहूंगा कि सरकार को इस पर गंभीर होना चाहिए।

पांचवी बात यह है कि किसान को कर्जा मिलेगा चाहे वह मिल मालिक दें या बैंक दें। उस कर्जे के एवेज में उनसे सूद वसूल होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि यह कौन सा कानून है कि किसान का पैसा मिल मालिकों के पास वर्षों तक रहे और किसान को उसका एक पैसा सूद भी न मिले?

छठी बात यह है कि इस विधेयक में प्रोविजन किया गया कि मिल मालिकों को सूद नहीं लगेगा और जो किसान कर्ज लेकर खेती करेगा, उसे सूद लगेगा। अब साधारण आदमी के ज्ञान में यह बात नहीं आती है। मैं साफ-सुथरा कहना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि किसान के पक्ष में ऐसी बात आये। आप जो विधेयक लाये हैं, उसमें आप किसान के बारे में ऐसी कुछ व्यवस्था करने का उपाय करें। आपने जब इस विधेयक का नाम चीनी विकास निधि लिखा है, तो बिना किसान के बिल या बिना मिल के चीनी नहीं। इससे एक तरफ की बात होगी। इससे चीनी मिल का विकास होगा। वैसे भी मिल चलनी चाहिए क्योंकि मिल चलेगी नहीं, तो फिर गन्ना कैसे पैदा होगा। लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि किसान के लिए इस विधेयक में कोई प्रोविजन होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा वक्त और लूंगा। हमारा घर मोतिहारी है। बिहार में सबसे अधिक चीनी मिलें हमारे जिले में थीं। वे सारी चीनी मिलें एक सुर से बंद हो गयी हैं। जब हमने इस बारे में चर्चा की, तो माननीय मंत्री जी ने हमारे यहां चीनी मिल खोलने के लिए कहा। वे वहां गये और बहुत मेहनत की। लेकिन वे ऐसे वक्त गये जब चुनाव आचार संहिता लागू थी। इस संबंध में माननीय मंत्री जी पर गलत मुकदमा भी दायर हुआ। यह सब कुछ होने के बाद भी कोई चीनी मिल नहीं खुली। अकेले मोतिहारी चीनी मिल का 15 करोड़ से ज्यादा रुपया दस साल से बाकी है।[MSOffice36]

महोदय, मैं इस विधेयक के माध्यम से माननीय मंत्री जी काध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि इस विधेयक को पारित करवाकर और इससे भी पांच फरवरी को राष्ट्रपति जी के यहां से अध्यादेश जारी करवा आपने जो बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन किसानों का जो 15 करोड़ रूपए बकाया है, वह हमारे किसानों को कब मिलेगा। मेरे लोकसभा क्षेत्र की रोजा चीनी मिल में किसानों का पिछले साल का पैसा बाकी है। उस किसान की बेटी की शादी में पैसा नहीं मिल पा रहा है। इस साल भी गन्ने की खरीद जारी है, लेकिन उसका पैसा किसानों को नहीं दिया जा रहा है। इस विधेयक को लाने का मतलब साफ है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से लाखों-करोड़ों बार यह आग्रह करूंगा कि आज इस विधेयक पर जब आप सदन में जवाब दें, तो यह भी सुनिश्चित करें कि यह सदन आपको जो पैसा दे रहा है, यह पैसा जो आप चीनी मिलों के लिए भेज रहे हैं, किसान के लिए भेज रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी पर खर्च करेंगे, इस पैसे का किसानों को भुगतान कितने दिन के अंदर किया जाएगा, इस सदन में यह बात साफ होनी चाहिए। यहां से जो पैसा जाता है, राज्य सरकार मिल वालों से मिलकर तिजोरी में बंद करवा देती है। मिल वाले उस पैसे को मैनेज करते हैं। अब गरीब किसान हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट में नहीं जा सकता है। जिसके पांव न फटी बिवाई, सो का जाने पीर पराई। किसानों की हालत किसान ही जानता है। आज वहां यही स्थिति है। किसानों ने अपने खेत का सारा गन्ना मिल को दिया है, उसके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं हैं, बेटे को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। हमारे इलाके की आज यही परिस्थिति है कि वह आज तड़प-तड़पकर मर रहा है। मैं चाहूंगा कि जिस तरह एक मजबूत इरादे से आप यह विधेयक लाए हैं, उसी मजबूत इरादे के साथ सदन को यह बताएं कि किसानों का बकाया पैसे का भुगतान, कितने महीने, कितने दिन और कितने घंटों में होगा।

इसी के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

SHRI BRAJA KISHORE TRIPATHY (PURI): Hon. Deputy-Speaker, Sir, we are now discussing the Sugar Development Fund (Amendment) Bill, 2008

The Sugar Development Fund Act, 1982 was enacted to provide for financing the activities for development of sugar industry and for matters connected therewith or incidental thereto. Now, a proposal has come to provide loan from the Sugar Development Fund to the sugar mills and to the sugar industries. I would like to know from the hon. Minister as to how much money has been provided to the sugar industries after 1982 and also – 'incidental thereto' means indirectly assisting to the farmers – how much he has provided assistance to the farmers.

Sir, as per the latest Economic Survey that has been placed in Parliament, cane arrears, as a percentage of the price, have been increased to 6.2 per cent, and the outstanding dues has been estimated at Rs. 1,830 crore. The outstanding dues of the farmers who have not got their price is Rs. 1,830 crore are now in great difficulties. Now, the hon. Minister and the Government are very much interested to provide interest free loan to sugar industries. But, I think, they are not concerned about the farmers.

The loans from the Sugar Development Fund (SDF) are given to eligible sugar mills for expansion of capacity, modernization/rehabilitation of plant and machinery as well as technological upgradation. In order to make this Fund more popular and acceptable to sugar factories, the Government amended the SDF Rules in 2002 for better utilization of the important by-products by deciding to give loan from SDF for production of ethanol and bagasse based co-generation of power.[h37]

So, to produce ethanol and alcohol, which would ultimately help in generating power, the loans from the SDF was provided, and the Act was amended by this Parliament in the year 2002.

Sir, I would like to know from the hon. Minister as to how much power has been generated by way of providing loans to this industry; and how much ethanol and alcohol have been produced by them, which would ultimately help in refining the petrol and diesel. I would also like to know whether the Government has made any estimate of all these thing to see that this SDF has been better utilised for the purpose it has been provided for.

Sir, the Centre has increased the Excide Duty on sugar by Rs. 9 a quintal in this Budget. The additional duty would make the total excise levied on sugar as Rs. 95 a quintal. Together, with cess there would be a burden of Rs. 97.85 a quintal. But ultimately who is going to bear this burden? It is the consumers. It will not be borne by the sugar factories. It is the consumers, who would be taking the burden of Rs. 97.85 per quintal, by taking sugar. Now, this loan would be provided to the sugar industries.

The dues pending on farmers in the form of loans is about R.2,000 crore, which is not being paid to the farmers. They are also suffering greatly. They are also in a very distressing condition.

At the moment, as per the figures of 30th September, 2006, there are about 582 sugar factories in the country, of which, 317 are in the cooperative sector; 203 are in the private sector; and 62 are in the pubic sector. So, most of the sugar mills are in the cooperative sector. But the loans mostly that have been provided, are to the sugar factories in the private sector, so far. Of course, some sugar mills in cooperative sectors have also been provided, but most of the loans have been given to the private sectors. In one way, we are helping the sugar industry. Yes, it is also necessary, otherwise, this industry would not survive, the farmers would not be able to take the advantage of utilising their sugarcane. I do not say that it is not necessary. But if you see the answer to a Question put in the Parliament, it is replied that the loan from the SDF has been provided to a limited number of States only. Other States have not been provided with this loan from the SDF or for that matter, any other assistance. As far as Orissa is concerned, there is no such figure, which says that the loan has not been provided to Orissa, it is said in the answer. I do not say that Uttar Pradesh or Maharashtra should not be provided with such a loan. Of course, they are producing more sugarcane. My point is that there are other States like Punjab etc., which should also be given more. Similarly, other States also should be given such a loan from the SDF, so that their sugar industries and farmers are also benefited out of it.

Sir, the Central Government fixes the Statutory Minimum Price (SMP) for sugarcane. Then, we have the State Advisory Boards, which are also doing price fixation. But if we look at the condition of the sugarcane farmers, it is very much pitiable and deplorable.

The present battle between the sugarcane farmers and the mill owners centres on price. The Government is providing so much of

assistance to the sugar mill owners, with the sole intention that it would ultimately help the sugarcane farmers. [r38]

But so far as price is concerned, they are not providing the real price to the sugarcane farmers as per the Statutory Minimum Price that is fixed by the Government of India or at the State level, the State Advised Price Fixation Body which are fixing the price. That is why, of course, the sugarcane farmers are ultimately going to the Supreme Court, the apex court. A number of Hon'ble Members have also discussed this thing. But that price is also not being provided by the mill owners to the farmers.

While the farmers claim that they are not able to recover the cost of cultivation, the mill owners say that cane crushing is not viable after buying the crop. So, this is the situation. While farmers are telling that whatever they are investing, leaving apart their labour, they are not getting the price. They are investing in this crop but they are not getting the price so far as their investment is concerned.

As per the latest Economic Survey, I have already said that outstanding is pending to the tune of about Rs.1,830 crore. There is one thing because this is happening. The network for the cane cooperative societies, which was working mainly for the farmers' interest, has now completely collapsed. The Government has not shown any interest. The State Governments are also equally not taking so much interest. This network could have ultimately helped the sugarcane farmers' interest. Since that cooperative society body has completely collapsed, they are not coming forward to purchase sugarcane from the farmers directly. So, naturally, the farmers are selling to the middlemen. In U.P. alone, their farmers' organisation has told that they are in a position to sell only at the rate of Rs.50 per quintal. Where? It is to the middlemen because the mill owners are not purchasing directly from the sugarcane farmers. So, they are compelled to sell it to the middlemen in a very distress sale and at a very low price. It is because the network of cane cooperative societies has completely collapsed, and hence they are selling to the middlemen. That is the situation now.

So, I would like to know whether the Government will declare any package for the farmers also. They are not interested in this. Through this Sugar Development Fund, now we are providing all assistance to the sugar mill owners and their factories. But so far as the farmers' distressed condition is concerned, we have discussed that. We, all the Members cutting across Party, are discussing the pitiable condition of these farmers. They are not getting their price. Whatever price that is fixed, they are not getting that price. They are also not getting their arrear dues for years together. All these things are now compelling the farmers to shift to other crops. Some of the farmers' organisations have declared that in future they will shift their cultivation from sugarcane to either wheat or rice or any other crop. So, the situation will be like this. When the farmers of Brazil and other countries are completely competing with the farmers of our country quite well and they are selling at a very low price in the international market, our sugarcane farmers will not be in a position to face the farmers of other countries because whatever subsidies and incentives that the other countries; are providing to the sugarcane farmers of their countries are not being provided to our farmers.

That is why I want to know what type of package the Government is interested to declare for the farmers. I also want to know whether the other States, which are not availing the fund from the Sugar Development Fund, like Orissa, should also be provided from this Fund to develop their sugar mills and industries.

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU (RAJAPUR): Sir, I have given a notice for disapproval of the Ordinance that was issued. Though I broadly support the contents of the Bill, I really fail to understand why there was a need for issuing an Ordinance on 4th of February. I just heard the statement of the Minister that it was issued because to protect the interests of the farmers who were agitating, who were demanding their dues for the cane supplied to the sugar factories and there was a law and order problem. The factories would have failed to start the crushing season, and therefore they had to do it.[m39]

If I recall, the last Session of the Parliament ended in the last week of December, almost close to that. Therefore, the Bill of this type could have been introduced in the last Session of the Parliament rather than issuing an Ordinance. Sir, I always feel that Ordinance should be used as a rarest of the rare occasion because Ordinance takes away the right of the Parliament to decide on an important issue like this, and if the Ordinance is issued, it is like a *fait accompli* for the Parliament to really convert it into a law. Therefore, I really oppose the promulgation of the Ordinance, and therefore, I had given the notice.

Sir, there is already a huge agrarian crisis engulfing our rural India. We have been worried about the fact that agricultural production is stopping. We are also worried that yields are falling and the farmers are not getting remunerative prices. As a result of which, the production is not increasing at the rate at which we wanted. It is also threatening our food security and creating a lot of other economic issues. As we discussed the other day, the share of agriculture in GDP has fallen to 18.5 per cent now. So, we need many ways to tide over this.

One of the ways we thought of doing is to do agro-processing. We thought that agricultural production need not be just

sold in the market in the primary form but it should be processed and therefore, the farmers will be able to get a value for not just the produce that he is selling but also for the finished product which will be sold in the market as an agro-processed good.

It is also true that in India almost more than 30 per cent of our agricultural production is lost because of not being processed adequately. Therefore, sugar is one of the very important agro-processed products, and that is what we really started doing it many years ago and in a way we are successful in that. But we always have faced the problem in sugar industry. Therefore, sugar industry needs a different type of treatment.

It is true that sugar passes through a cyclical form. Every three years or four years, the production increases so much that the prices fall. Since the prices fall, therefore, the farmers do not plant sugarcane in the next following season. Then, over a period of time, again the production falls. The prices go up, and then again we have to provide such incentives. So, I think this is the time that we really need to think about re-vitalising sugar industry, not just in the form of this--which I will come to it later--but also in the form of making sugar, that is, cycleability through which the sugar industry always gets affected.

How do we get over that, is something the Government must see, and for that, probably, we need to look at the possibility of making the cropping pattern change, give proper notice to the farmers that you do not plant so much, so we will not have a problem. We also really need to look at that. For some time we are thinking that probably, we can import to tide over the problem. But that is not the solution because we need our own agricultural production. So, the Government must think about a long-term sustainable nature of making sugar so that the sugar industry will not pass through these phases like many other industries which pass through such cyclical form.

Sir, this particular Bill seeks to amend Section 4 of the Sugar Development Fund Act. It was passed in 1981. In 1982, we had amended this Act to bring buffer stock as one of the qualifying items to receive the funds from this. In 2002, it was amended for exporting the sugarcane and for that to provide internal transport and supports like that. Then, we also amended it for co-generation and for alcohol and ethanol. But this is the first time we are amending this Act for the purpose of paying money for the sugar factories to run their operations.

This is actually the law, the Act which was passed primarily for strengthening the sugar factories to do research and development, to increase the profitability, to bring in some sort of a capital expenditure, though as I mentioned, earlier we also mentioned the revenue expenditure. But to pay for actual working capital of the sugar factories by paying from the Sugar Fund is something which I think really defies the very purpose for this Act. Therefore, we should really try to find out how we can use this Sugar Fund to make sure that the sugar factories are strengthened on a long-term basis rather than paying for the revenue expenditure which will not be in the long-term interests of this country.

Sir, I was talking about making sure that sugar industry itself is re-vitalised. We had an Economic Survey which was presented to the Parliament on 20th of February in which we have seen that the Finance Minister talking about decontrol of the sugar industry.[m40]

In that Economic Survey, we have seen that the hon. Minister of Finance was talking about decontrol of the sugar industry. This is something which I would like to know from the hon. Minister who probably is one of the few persons in the country who knows the sugar industry on the palm of his hand. I do not think there are many other people who know this. I would like to know from the hon. Minister as to what is the long-term plan. Are we thinking about decontrolling the sugar industry which is what is mentioned in the Economic Survey? If it is so, then, is this the solution of providing a sugar fund? Is this a solution to that problem? We really need to know about it.

The other issue is to increase the amount of money from Rs. 15 to Rs. 25 to augment the sugar fund. It is absolutely required that we need support for the sugar industry. There is no doubt about it. There are no questions about it. But, who should fund that support? I want to know whether it should be from the consumers or whether it should be from the Government. I think that the Government has to provide for it and should not really talk of the charges on the consumers to make that happen. Therefore, I really think that the Government should now really focus on how to diversify the portfolio of the sugar industry.

Sir, Brazil is one of the largest producers of sugar in the world. Brazil popularised one of the great bio-fuels called ethanol on a long-term basis which is now blended worldwide into the fuel that we use for transportation. I think ethanol is something which has now become one of the principal sources of revenue for the sugar industry in Brazil. You really need to do something like this in India to make sure that the sugar industry in India stands on a long-term footing, on a basis that will not suffer such type of cyclibility. That is what is really required to be done.

I know Cuba used to be, once upon a time, the largest producer of sugar in the world. What happened after a few years of the so-called new regime that was there? Now there is a change of regime in Cuba as well. Fidel Castro's brother has taken over. He is already talking about reforms. Suppose, for example, Cuba starts investing more into the sugar industry, then start bringing

more sugar into the market, what will happen in the world market? We really need to look at that also and probably we need to be careful about drawing our strategies about the sugar industry in future.

Sir, sugar industry in India and predominantly in Maharashtra is controlled by cooperatives. That is a very welcome thing because cooperatives ensure that the farmer gets a share in the produced crop that goes into the sugar mill. Therefore, he is not only getting the price for sugarcane but he is also getting part of the profit that the sugar mills make in terms of selling the sugar. But, cooperatives, generally in India, are suffering a great deal these days. We need to revitalise these cooperatives. We need to bring the spirit of cooperative which drove this movement a great deal many years ago. Therefore, we need to find out how the cooperatives themselves can be revitalised. If that does not happen, then probably the structure through which the sugar industry operates will not also get the cooperation. Therefore, this is something which we will need to do.

Sir, I, therefore, support the Bill. I feel that some sort of support is required for the sugar industry. But I sincerely hope and wish that the hon. Minister, as I said earlier is one of the most qualified persons to look into the issues, will be able to apply his mind to make sure that the sugar industry is properly revitalised.

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सैद्धांतिक रूप से शूगर डैवलपमेंट फंड अमेंडमेंट बिल का समर्थन करता हूं। जब मैं इसकी जानकारी आगे-पीछे कर रहा था और माननीय सदस्यों के भाषण सुन रहा था तो मुझे बहुत सी दूसरी बातों की जानकारी मिली। My State is a negligible player in the sugar economics. अभी हम अपने क्षेत्र में इसे थोड़ा-थोड़ा शुरू कर रहे हैं। इसकी पिछले 15-20 साल से उड़ीसा में शुरुआत हुई है जिससे हमें कुछ अनुभव हो रहा है। अभी मेरे साथ उड़ीसा के सांसद तथागत जी से बैठे थे। उनके वहां इसकी एक इंडस्ट्री है लेकिन गन्ने की खेती मेरे इलाके में होती है। मैं अपने आजू-बाजू के इलाकों के कुछ अनुभव बताना चाहता हूं। अगर माननीय मंत्री जी खेती करने वाले मजदूरों का ध्यान रखते हुए यह बिल बनाते तो अच्छा होता। इसके द्वारा चीनी मिलों को सब्जिडाइज्ड रेट पर या इंटरेस्ट फ्री रेट पर लोन देने का प्रॉविजन किया गया है। वह इसे ऑर्डिनेन्स के रूप में लाए हैं और आज हम इसे पास करने जा रहे हैं। वहां तमिलनाडु की शक्ति नाम की एक शुगर फैक्ट्री लगायी गई है।[a41]

इसमें हमारा 55-56 साल का क्या अनुभव है। अभी हम शुगर साइकिल के बारे में समझ रहे थे कि खेती एक साल अच्छा होती है और दूसरे साल चीनी का रेट घटता है उसके बाद फिर खेती और बढ़ जाती है लेकिन इससे किसान को नुकसान होता है। आप चीनी मिल को एजेंसी बनाते हो, मुआवजा, दाम अच्छे देने के लिए और क्रॉप शक्ति अच्छी रखने के लिए लोन देते हो, यह स्वागत योग्य पक्ष है। लेकिन कानून में उसे मिलता है या नहीं, फार्मर तक पहुंचता है या नहीं, इस बारे में सैंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के पास बड़ा मैकेनिज्म नहीं है। इसमें लिमिटेशन आ जाती हैं, राज्य सरकार हाथ खड़ा कर देती है, केंद्र सरकार के पास बात पहुंचती नहीं है। हमारे प्रदेश की फैक्ट्री अगर शुगरकेन लाने के लिए रोड रिपेयर करती है तो उसका भी पैसा किसानों के ऊपर लादा जाता है। इसके अलावा जो कैनाल मैंटेनेंस होता है, उसका भी पैसा लादा जाता है। अगर गारन्टियर फैक्ट्री बनकर इन्डीविजुअल लोन लेता है तो भी लोन का पूरा अमाउंट किसानों को नहीं मिलता है। अगर आप इतनी बड़ी बात यहां से कर रहे हो कि चीनी मिलों को सस्ती दर पर या बिना ब्याज के लोन देंगे तो मेरी इतनी विनती है कि इसके लिए कोई प्रोवीजन होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि उड़ीसा जैसे प्रांत में कालाहांडी, वलांगीर, कटक और ढेंकानाल जिले में भी कुछ हुआ है जिससे वे लड़खड़ा जाते हैं। आप किसानों के हित को थोड़ा ध्यान में रखें ताकि आप उसके लिए जो यहां से देते हो वह किसानों तक पहुंचे। इस संबंध में अगर बिल में कुछ प्रोवीजन हो जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव या एक्जीक्यूटिव डॉयरेक्शन्स दी जाएं, मैं मानता हूं यह किसानों के हित में होगा, गरीब लोगों के हित में होगा।

मैं आपके माध्यम से पुनः मंत्री द्वारा लाए गए बिल का समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी सब मैम्बर्स से विनती है कि सभी मैम्बर्स का फर्स्ट राउंड खत्म हो गया, अब सैकिण्ड राउंड शुरू होना है इसलिए मैं चाहता हूं कि मैम्बर्स दो या चार मिनट में अपनी बात कह दें।

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): इसके लिए दो घंटे दिए गए थे, दो घंटे हो गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: जी, हां लेकिन पांच-सात मैम्बर रहते हैं।

DR. M. JAGANNATH (NAGAR KURNOOL) : Thank you Mr. Deputy-Speaker, Sir. I rise to support the Bill with a few reservations. The Bill is intended for the overall development of the sugar industry and matters concerned therewith and increasing the cess from Rs. 15 per quintal to Rs. 25 per quintal. It looks like that though the Bill has taken care of the cases of factories and other institutions, yet it has not exactly taken care of the farmers. I think the Bill does not have anything to say about the farmers.

As usual, like any other agricultural produce, the sugarcane producers have been neglected throughout the country as well as in my State of Andhra Pradesh, particularly in the areas of Telengana – Medak, Nizamabad, Adilabad and Karimnagar districts where they grow sugarcane. It is because as no reasonable MSP is given either by the Central Government or the State Government to the sugarcane growers, they are distressed as usual like any other farmer and they are forced to commit suicide.

Apart from this, a strange thing is happening. In any agricultural produce, if anybody purchases it from the farmer, the price will be paid then and there itself to help the farmer. But a strange thing is happening with respect to the sugarcane growing farmers. The fact is any institution who purchases the sugarcane from the farmers, they do not make the payment on-the-spot. But they will ask the farmers to wait till such time that the crushing season is over. Depending upon the rate they get, they will be paying

to the farmers. At times, it is happening that the investment that the farmer is making on the sugarcane growing, he is unable to get that much also and he is forced to commit suicide. This is happening. [k42]

It is alleged that nearly Rs. 65,000 crore are due to the farmers only in Andhra Pradesh. If that is the case, you can assess how much it could be throughout the country. This is a very wrong thing. In case of paddy, it is being paid. I would request the Government of India, and hon. Minister is also here, not to wait till such time the crushing season is over and to make payment, depending on the rate prevailing at that time. The farmer should be paid there itself at the prevailing rates.

Recently, Swaminathan Commission has submitted its report suggesting that Rs. 1,800 should be given to the farmers. There has been a long delay. If such type of things are accepted, based on that, the farmers should get payment there itself. Recently, the hon. Finance Minister has announced waiver of loans for farmers. This should also apply to sugarcane farmers. The MSP should be announced to the tune of Rs. 1,800. Only then the problem of sugarcane growers will be solved.

उपाध्यक्ष महोदय : कुंवर मानवेन्द्र सिंह जी, अब आप बोलिये, लेकिन आप केवल तीन-चार मिनट में अपनी बात खत्म करें।

कुँवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे बोलने से पहले ही आप तीन मिनट कह देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी भी मजबूरी है, सभी पार्टियों का टाइम खत्म हो गया है, दो घंटे का अलॉटिड टाइम भी खत्म हो गया है। अब आप ही बतायें, मैं क्या करूं। अपनी पार्टी से कह दें, मैं दूसरे किसी ..

â€¦(व्यवधान)

कुँवर मानवेन्द्र सिंह : सर, आप दो मिनट टाइम बढ़ा दीजिएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप स्टार्ट करें, फिर देख लेंगे।

कुँवर मानवेन्द्र सिंह : अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं?

उपाध्यक्ष महोदय : आप यहां से बोल सकते हैं।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़): सर, आज आपका जन्म दिन है ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : गोयल साहब, जैसा आप कहो, वैसा कर लेंगे।

कुँवर मानवेन्द्र सिंह : सर, जन्मदिन की आपको बधाई हो, मुझे अभी पता लगा।

उपाध्यक्ष महोदय : वह 15 तारीख को था, उस दिन छुट्टी थी, वह बीत गया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

कुँवर मानवेन्द्र सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी को अपनी और समस्त गन्ना किसानों की ओर से हृदय से बधाई देना चाहता हूं। मंत्री जी नये बिल को अमैन्डमैन्ट करके शुगर डैवलपमैन्ट फंड के द्वारा जो चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 और चीनी उपकर अधिनियम, 1982 आप लाये हैं, उसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। सर्वपृथम अगर हम गन्ना किसानों की तरफ देखें तो बहुत वर्षों से उनके सामने एक समस्या चली आ रही है कि जो गन्ना किसान बड़ी मेहनत से गन्ना उगाता है, उसका भुगतान नहीं होता और न केवल फसल पर ही भुगतान होने की बात है, बल्कि दो-दो, तीन-तीन साल तक उसका भुगतान नहीं होता है, जिसके कारण निरन्तर उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती जाती है और अपने बच्चों की परवरिश, घर का खर्चा, बच्चियों की शादी करने तक के लिए वह मोहताज हो जाता है। माननीय मंत्री जी इस बिल के द्वारा किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का भी प्रयास करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। इसमें कई चीजें हैं। पहले यदि हम गन्ने के बारे में देखें तो जो पर्चियों का वितरण होता है, वे किसानों तक नहीं पहुंचती, उनका वितरण बिचौलियों के द्वारा होता है और बाद में किसान जिन पर्चियों को लेना चाहता है, वह उन्हें ब्लैक से खरीदता है। इसके बाद जब वह पर्ची लेकर फसल काटकर तुलाई के लिए जाता है तो वहां भी ठीक से गन्ने की तुलाई नहीं होती और वहां वह जितना गन्ना ले जाता है, उसकी सही तुलाई नहीं होती। कई बार हम लोग भी मौके पर गये हैं और उन अधिकारियों को डांटा, फटकारा है, उनके खिलाई कार्रवाई भी कराई गई है, मगर कोई विशेष सुधार नहीं आया। इसके अलावा आपने देखा कि किसानों ने अपनी मांग उठाते हुए कहा कि उनका भुगतान समय पर हो, इस मुद्दे को लेकर कई पूदर्शन हुए और उन पूदर्शनों के दौरान किसानों पर गोलियां भी चलाई गई हैं[b43]।

बहुत से किसान वहां मारे गये हैं। बहुत से किसानों ने खेती की समस्याओं से जूझते हुए वहां पर आत्महत्याएं की हैं जो आप सभी को मालूम हैं और यह सदन भी भली पूकार से जानता है। इसके अलावा केवल किसानों ने ही नहीं, बल्कि परिवार के परिवारों ने आत्महत्या करके अपने जीवन का अंत किया है जो इस सदन और देश के लिए बहुत दुख की बात है क्योंकि इस देश में करीब 80 फीसदी किसान जो हमारा अन्नदाता भी कहलाता है। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं इस ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान इसी से जुड़ी हुई समस्याओं की तरफ भी आकर्षित करना चाहूंगा कि सिंचाई के साधन बहुत ही सीमित हैं। बिजली 18-18 घंटे नहीं आती है, किसान को पानी भी पूरा उपलब्ध नहीं होता, पम्प चलाकर पानी देना पड़ता है और कभी-कभी डीजल की कमी होती है, डीजल भी समय पर नहीं मिलता और इस तरह से उसकी खेती सूख जाती है। जितनी पैदावार होनी चाहिए, जितना गन्ने में रस होना चाहिए, उतनी क्षमता नहीं रहती। इसके अलावा सिंचाई के भी साधन, नहरों की सफाई न होने के कारण खेतों तक पानी पहुंचने का सवाल नहीं है। बीस-बीस सालों से पानी वहां नहीं पहुंचता। जो किसान गन्ना उगाते हैं, जो नहरों के पास भी हैं, उनको भी सिंचाई पूरी नहीं मिलती जिससे किसानों का समय-समय पर बहुत उत्पीड़न होता रहता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस ओर भी ध्यान देते हुए किसानों को सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। यहां तक किसान और फैक्टरी ओनर्स के झगड़े में चाहे वे कोआपरेटिव फैक्टरियां हों या प्राइवेट फैक्टरियां हों, उनके झगड़े में माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरफिअर करना पड़ा है। मैं यह 28 फरवरी, 2008 के इंडियन एक्सप्रैस की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को कोट करना चाहूंगा जो इस अखबार में दी गई है:

"â€¦The hon. Supreme Court on Wednesday directed mill owners in Uttar Pradesh to pay cane growers their dues by fixing the price between Rs. 115 and Rs. 123 depending upon the quality for the season 2006-2007â€¦"

वर्ष 2006-07 के सीजन की बात कही गई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें इंटरफिअर किया है। उसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश में हाइ-कोर्ट ने भी कहा है: "HC scraps UP Government's price order." उन्होंने लिखा है:

"â€¦the State Advised Price (SAP) of sugarcane for the 2006-2007 season of October-September. The court also recommended the constitution of a committee headed by a retired judge to calculate sugarcane prices afreshâ€¦"

बार-बार हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाइ-कोर्ट भी इसमें इंटरफिअर करती रही हैं मगर दुख की बात है कि उनके आदेश करने के बावजूद भी किसानों को न्याय नहीं मिलता। फिर आगे हाइ-कोर्ट ने कहा है कि:

"â€¦In the 2006-2007 season, while cane prices were raised about 8 per cent, sugar prices fell 30 per cent due to a bumper harvest. As a result, all sugar mills in the State reported a loss for the first two quarters of the current financial yearâ€¦"

इस तरह कभी शुगर फैक्टरियां बंद हो रही हैं, कभी किसानों को गन्ने का प्राइस नहीं मिल रहा है, इस तरह की समस्याओं को भी देखना चाहिए।

जहां तक लॉसेज का सवाल है, लॉसेज के बारे में हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा है, Implement sugar package. यह हमारे वित्त मंत्री जी ने 13 फरवरी, 2008 को कहा है। In the *Business Standard* of 13 February 2008, Shri Chidambaram told banks to implement sugar package. It states :

"The Finance Minister Shri P. Chidambaram today asked public sector banks to implement the interest-free loan package announced for sugar millsâ€¦"

"Punjab National Bank, Indian Overseas Bank and the Indian Bank have implemented the package. Others have been advised to complete the exercise soon.

In December, Government notified a package allowing sugar mills to avail of interest-free loans."

उन्होंने इंटरैस्ट फ्री लोन की बात कही तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जब आप शूगर इंडस्ट्री को इंटरैस्ट फ्री लोन देते हैं तो फिर किसानों को क्यों नहीं? जब उन्हें बराबर सरकार की तरफ से, बैंकों की तरफ से, फाइनैंस मिनिस्टी की तरफ से ऋण मिला है। हमारे कृषि राज्य मंत्री डा. अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है :

"Government disappointed with the response for Sugar Development Fund."

यह उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। आगे कहा है :

"The poor response from the sugar industry to the Sugar Development Fund for the modernization or expansion of plants has disappointed the Union Government."

अगर दोबारा आप इस ओर बढ़ रहे हैं तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि किसानों की जो स्थिति है, उस पर आप गौर फरमायें।

मुझे याद है कि जब हमारे यहां चीनी मिलें हुआ करती थी और जो गांव इसके अंदर आते थे, जहां जहां गन्ना खरीद करते थे, वहां सड़क निर्माण किया करते थे, उन्हें शैल्टर बनाकर देते थे, जहां किसानों का गन्ना तुलने के लिये जाता था। लेकिन आज, यदि ठंड या बरसात का मौसम रहता है तो वह भीगता रहता है और शूगर फैक्टरी पर एक किलोमीटर से ज्यादा की लाइन में खड़ा रहता है । न उसके लिये प्रापर शौचालय है, न शैल्टर है और न रोटी बनाने के लिये जगह है। वह खुले आसमान के नीचे बरसात में कई दिन तक पड़ा रहता है। मंत्री जी शूगर इंडस्टी की समस्या जानते हैं लेकिन मेरा आग्रह है कि किसानों के लिये भी इस अध्यादेश के जरिये जल्द भुगतान किये जाने की व्यवस्था की जाये। उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है, इसलिये उन्हें भी बैंक से फ्री लोन दिये जाने की व्यवस्था की जाये ताकि वे भी अपना जीवन शान्ति से बिता सकें।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Shailendra Kumar, please be very brief and conclude your speech within three to four minutes.

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे चीनी विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2008 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

जैसा कि माननीय मंत्री जी 1982 के विधेयक में कुछ संशोधन लेकर आये हैं, जिस पर पक्ष और विपक्ष की तरफ से विस्तार में विचार आये हैं। श्री मोहन सिंह जी, जो सांविधिक संकल्प लेकर आये हैं, मैं उनके विचारों को बल देते हुये कहना चाहूंगा कि यह बात सत्य है कि इस सदन में माननीय मंत्री जी ने खुद कहा था कि चीनी के उत्पादन में सब से ज्यादा योगदान उत्तर प्रदेश का रहा है और मंत्री जी ने स्वीकारा भी है। .योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल के गन्ना किसानों के दुख-दर्द को विस्तार से रखा है। पश्चिमी इलाके के

गन्ना किसानों की भी बड़ी समस्यायें हैं। हालांकि मुझे कम समय दिया है, फिर भी इनके बारे में विस्तार में बताना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान उत्पादन में अग्रणी थे, वे पीछे न हों, उन्हें विशेष पैकेज देकर उनका जो बकाया रह गया है, उसका भुगतान तत्काल हो। इसकी कोई न कोई सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिये। मैं अभी जब इस संशोधन विधेयक को पढ़ रहा था, उसमें सरकार ने चीनी मिलो की ओर ज्यादा ध्यान दिया है कि आप उन्हें ऋण देंगे लेकिन उन किसानों का कोई जिक्र नहीं किया गया जोकि एक शोचनीय विषय है।

अभी जो सम्मानित सदस्यों के सुझाव आए हैं, वे ज्यादातर किसानों की समस्याओं को लेकर ही आए हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा और जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि बात सत्य है कि किसान अगर गन्ने की बुवाई करता है और बाद में फसल को काटकर मिलों तक ले जाता है, तो मानवेन्द्र सिंह जी ने उस दुखड़े को बड़े विस्तार से बताया, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। यह बात सत्य है कि जगह-जगह पर कांटे भी लगते हैं और कांटों में भी इतनी धांधली होती है कि जो कांटों का ठेका लेता है, वह भी घटतौली करता है। उससे सबसे बड़ी चोट किसानों को पहुँचती है। वहाँ पर जो घटतौली होती है तो किसान उससे वहीं पर दब जाता है, उसको अपने उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिल पाता। किसी तरह से वह अपने उत्पाद को मिल में ले जाता है, वहाँ पर पर्ची दे दी, समय पर उसका भुगतान नहीं हुआ तो अगली फसल के लिए वह एक प्रकार से मर जाता है। उसका उत्पादन ही रुक जाता है। वह कुछ नहीं कर पाता। जैसा सम्मानित सदस्यों ने कहा कि लड़कियों की शादी करने में और अपने घर-परिवार को चलाने में उसको इतनी मुश्किल हो जाती है कि उसको कर्ज़ लेना पड़ता है। यही कारण है कि किसान आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाते हैं।

जैसा मंत्री जी ने कहा और संशोधन के माध्यम से बात आई है कि बहुत सी चीनी मिलें जो बंद हैं, सरकारी हैं, गैर-सरकारी हैं या कोआपरेटिव सैक्टर की हैं, अगर बंद हैं तो उन्हें चालू किया जाए। उन्हें आप प्रोत्साहन दीजिए, गन्ना मालिकों को आप प्रोत्साहन दीजिए लेकिन उसके साथ साथ आपको यह भी देखना पड़ेगा कि हमारे जो किसान गन्ने का उत्पादन कर रहे हैं, उनको हम कितनी सहूलियत दे रहे हैं? मानवेन्द्र सिंह जी ने यही कहा कि हम उनको न बिजली दे पा रहे हैं, न पानी दे पा रहे हैं, फिर हम गन्ने का भी उत्पादन इतना करना चाहते हैं कि हमारी चीनी का उत्पादन इतना हो जाए कि हमारे देश में भी खपत हो और बाहर भी इसका निर्यात हो। इन सब बातों को देखते हुए हमें सोचना पड़ेगा। हमें यह भी देखना पड़ेगा कि कहाँ हमारा बैलेन्स बिगड़ रहा है। कभी कभी गन्ने का उत्पादन इतना ज्यादा हो जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो खेत में खड़े हुए गन्ने को किसान जला देता है। माननीय अशोक प्रधान जी बैठे हैं, वे इस बात को जानते हैं। इससे बहुत बड़ी हानि उनको होती है। इसलिए यह सोचने का विषय है। मंत्री जी हँस रहे हैं। मैं चाहूँगा कि मंत्री जी न हँसें। मंत्री जी का महाराष्ट्र तो चीनी उत्पादन में आगे है, लेकिन इसको गंभीरता से लें और इस पर सोचें। आपने इस विधेयक में किसानों का कहीं ज़िक्र नहीं किया, यह मेरी आपत्ति है। मैं चाहूँगा कि अपने उत्तर में आप कम से कम किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, किसानों को सहूलियत देने के लिए, उनके बकाये के भुगतान के लिए उनको किस प्रकार से सहूलियत मिलेगी, इस पर ज़रूर जवाब दें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्रीमती रूपाताई डी. पाटील (लातूर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, चीनी विकास निधि संशोधन विधेयक पर आपने मुझे बोलने की अनुमति प्रदान की, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ।

महोदय, यह जो बिल आदरणीय मंत्री जी लाए हैं, इसके संबंध में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। ये चीनी मिल मालिकों को जो सहूलियत देना चाहते हैं, उसके साथ ही मेरे क्षेत्र में जो 800 से 900 क्रैशर्स गुड़ निकाल रहे हैं, उनको भी कुछ राहत देने के लिए कुछ सोचना चाहिए। इसके साथ साथ जो इथनॉल और बिजली का उत्पादन करते हैं, उनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी इसमें कोई बात नहीं कही गई है। इसलिए इनका प्रावधान भी इसमें होना चाहिए। मेरे क्षेत्र में इतनी आत्महत्याएँ हो रही हैं कि आज के समाचारों में आया है कि आठ दिन पहले आपने जो कर्ज़ माफी की, उसके बाद भी चार-पाँच लोगों ने हमारे क्षेत्र में आत्महत्याएं कीं। इसकी एक ही वजह है कि आप चीनी मिल मालिकों को बचाना चाहते हैं। उसके साथ साथ किसानों को भी बचाना चाहिए, यह मैं कृषि मंत्री जी से विनती करती हूँ। जो चीनी मिल मालिक होते हैं, वे किसानों का गन्ना लेकर जाते हैं। अभी एक माननीय सदस्य बता रहे थे कि वहां इतनी समस्याएँ किसानों को रहती हैं - बिजली नहीं, पानी नहीं, फिर भी वे गन्ना लगाते हैं। उनको लगता है कि चीनी मिल मालिक हमारा गन्ना लेकर जाएँ और हमारे पास कुछ पैसा आना चाहिए। [h44]

इतनी समस्या होने के वाबजूद भी वे गन्ना लगाते हैं और जब गन्ना लेने की बारी आती है तो चीनी मालिक बोलते हैं कि अभी टाइम नहीं हुआ है। टाइम हो जाता है तब भी उनका गन्ना नहीं लेते हैं। इस तरह जो ये राजनीति करते हैं, यह बंद होनी चाहिए। गन्ने का भाव निर्धारित करना चाहिए कि इसका इतना भाव है। गन्ने का भाव निर्धारित किया हुआ है तब भी हमारे यहां के जो मालिक हैं वे उन्हें उतना नहीं देते हैं। जो रिकवरी आती है, उसके हिसाब से वे उन्हें पैसा नहीं देते। वे मनमानी करते हैं, उन्हें ठीक से पैसा नहीं देते।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय कृषि मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि आपने जैसे चीनी मालिकों के बारे में सोचा है, उसी तरह हमारे यहां जो गुड़ बनाते हैं, कम से कम उनके लिए बिजली मुफ्त होनी चाहिए। उसका उन्हें जो मुआवजा दे सकते हैं, वह भी उन्हें देना चाहिए। हमारे क्षेत्र में एक तहसील में नौ सौ गुड़ के कारखाने चलते हैं, इन कारखानों में चीनी मालिक जितना क्रशिंग करता है, उतना ही गुड़ निकालने वाला किसान भी करता है। इसलिए इनके बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए, इससे इन्हें भी राहत मिलेगी और किसान आत्महत्या कम करेंगे। जो गुड़ बनाते हैं, उनके लिए कुछ पैकेज वगैरह देना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Jasubhai Barad is our last speaker. Please be very brief. Complete your speech within four minutes.

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ (जूनागढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आज श्री शरद पवार जी जो बिल लेकर आए हैं, पूरा गन्ना बोने वाले जो किसान हैं, उनके लिए वे लगातार कुछ न कुछ हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे अहम् सवाल यह है कि आज जो चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति है, उसके कारण क्या हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे हिन्दुस्तान में हर जगह पर जो लागत आती है, वह सभी जगह पर एक ही तरीके से आती है। इसके लिए अलग-अलग जोन बनाए हुए हैं। किसी जगह पर लो रिकवरी जोन है और किसी जगह पर हाई रिकवरी जोन है। किसी जगह पर एक एकड़ पर पैदावार 40 प्रति टन है तथा किसी जगह पर सूखा पड़ता है। आज अगर 1250 मीट्रिक टन केपिसिटी की कोई चीनी मिल 65 परसैंट नहीं चलती है तो एक भी पैसे का मुनाफा नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन बातें मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में 1998 से लेकर इंटरनेशनल मार्केट में दाम कम हुए। यहां उत्पादन की पैदावार ज्यादा

हुई और उसके बाद लगातार चीनी के भाव कम होने की वजह से जो लागत आती थी, इससे करीब-करीब तीन सौ-चार सौ रुपए प्रति क्विंटल जो चीनी का भाव मिलना चाहिए, वह कम हुआ। इस वजह से चीनी मिलों की जो आर्थिक स्थिति थी, वे जो प्लेज और क्लीन के लोन लेते हैं, इन सब लोन का भुगतान करने में एक बड़ी समस्या आ गई। गन्ने का न्यूनतम भाव सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है, वह चुकाना ही पड़ता है। जहां तक कोआपरेटिव मिल का सवाल है, यह मिल अपने हिसाब से तीन पार्ट में पेमेंट करती है। पहले दो सौ- तीन सौ रुपए का पेमेंट करती है, फिर बाद में सौ-डेढ़ सौ रुपए का करती है। मिल बंद हो जाने के बाद आखिरी पेमेंट वह उनको देती है। राज्य सरकार में जो कोआपरेटिव बैंक है, उनके लिए मैं कहूंगा कि प्लेज किस हिसाब से मिलता है, करीब-करीब 13.5 परसैंट के हिसाब से प्लेज मिलता है। बैंक वाले 14 से 15 परसैंट लेते हैं। जहां तक रीस्ट्रक्चर का सवाल है, इसमें मैं आपको गुजरात की, खास कर सौराष्ट्र की बात बताता हूं। सौराष्ट्र का एरिया सूखा है। वहां पहले छः मिलें थीं और आज सिर्फ दो मिलें चल रही हैं, चार मिलें वहां इसी वजह से बंद हो गई। केन्द्र सरकार कोई नीति बनाती है, कोई खास पैकेज डील करती है। [rep45]

16.00 hrs.

उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने यह किया है। माननीय मंत्री, श्री शरद पवार जी ने चीनी मिलों

के लोन को दो वर्ष पहले रीस्ट्रक्चर किया। उसके कारण आज स्थिति यह हो गई है कि गुजरात सरकार इसमें गारंटी नहीं दे रही है। जब गुजरात सरकार गारंटी नहीं देगी, तो ब्याज की दर में 3 प्रतिशत तक राहत जो बैंक को मिलने वाली है, वह नहीं मिल पा रही है। लिक्विडिटी सपोर्ट लोन, गुजरात में पांच कोआपरेटिव मिलों को मिल सकता था, लेकिन गुजरात सरकार ने सिर्फ चार को दिया। सौराष्ट्र में जहां सूखा पड़ा है, वहां वह नहीं दे रही है। इस प्रकार की कुछ बातें हैं, जो होनी चाहिए। जिस मिल ने पिछले दो साल में जितनी भी एक्साइज पे की है, उसके हिसाब से, उसे बिना ब्याज के लोन देने की बात है। 7 परसेंट कौन रखेगा, एस.डी.एफ. के माध्यम से 5 परसेंट भारत सरकार देगी। एस.डी.एफ. में जो कन्वर्जन की बातें हो रही है, उनका सामना आज भी गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र की मिलें कर रही हैं। स्टेट कोआपरेटिव बैंक से बात करते हैं, तो वे कहते हैं कि नाबार्ड ने कोई नीति बनाई है कि जब तक गुजरात की गवर्नमेंट इसमें गारंटी नहीं देगी, तब तक हम परसेंटेज के हिसाब से ब्याज का भुगतान नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण लिक्विडिटी सपोर्ट नहीं मिल सकेगा। इसलिए जहां तक आम किसानों का सवाल है, जिनके लिए शरद पवार जी लगातार कोशिश कर रहे हैं, उनसे मैं उम्मीद करता हूं कि वे किसानों की समस्याओं को सुलझाने में यदि जरूरत पड़े, तो राज्यों की सरकार से भी बात कर के इन समस्याओं को निपटाने में मदद करें। अन्त में, मैं उनका और उनके द्वारा प्रस्तुत बिल का समर्थन करता हूं तथा आपको समय देने के लिए धन्यवाद देते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री संतोष गंगवार (बरेली): उपाध्यक्ष महोदय, समय देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं सिर्फ दो ही मिनट लूंगा।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी हाल ही में बजट प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सरकार ने 60 हजार करोड़ रुपए के किसानों के कर्ज माफ करने यानी उन्हें छूट देने की घोषणा की है। आप इस बिल के माध्यम से चीनी मिलों को लाभ पहुंचा रहे हैं। अब चीनी मिलें गन्ना किसान को पैसा देंगी या नहीं, यह कैसे सुनिश्चित होगा? इसलिए मेरा आग्रह है कि यह पैसा चीनी मिल को न देकर आप सीधे गन्ना किसानों को दें। चीनी मिलों को बैंक द्वारा जो भुगतान होता है, उसमें एक-एक और दो-दो महीने का डिले होता है, उससे चीनी मिलों को ब्याज का बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। नंबर दो बात यह है कि उत्तर प्रदेश में इस बार, पालिसी फायनल न होने की वजह से, गन्ने के किसानों ने, शुरू के दो-तीन महीनों में खेत जल्दी खाली करने की गर्ज से, ताकि वे उसमें गेहूं बो सकें, 30 से 50 रुपए प्रति क्विंटल में अपना गन्ना बेच दिया। हमारी नीति दुरुस्त न होने के कारण, हमारी चीनी मिलें दिसम्बर में चलनी शुरू हुईं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप ऐसा सुनिश्चित करें कि एक तो जून में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा किसान को कितना पैसा दिया जाएगा वह बताएं और एक डेट निर्धारित करें कि इस क्षेत्र की इस तारीख तक और इस क्षेत्र की इस तारीख तक चीनी मिलें शुरू होंगी। यह भी सुनिश्चित करें कि गन्ने के मूल्य का भुगतान यदि एक सप्ताह या 15 दिन के अंदर नहीं देंगे, तो उस चीनी मिल वाले को ब्याज देना पड़ेगा। अगर आप यह सुनिश्चित करेंगे, तो चीनी मिल वालों के ऊपर कुछ दबाव पड़ेगा और वह किसानों का भुगतान करेंगे। जो आप उन्हें दे रहे हैं, उसे तो आप ब्याज-रहित कर रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप इस दिशा में विचार कर के जब आप इसके ऊपर हुई बहस का उत्तर दें, तब इस विषय में भी कुछ बताएं और कुछ निर्देश जारी करें, तभी इसका क्रियान्वयन हो पाएगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य, श्री संतोष गंगवार जी से अपने को सम्बद्ध करता हूं।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने को श्री संतोष गंगवार जी से एसोसिएट करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : दोनों माननीय सदस्यों को एसोसिएट कर दिया जाए।

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के जिन सदस्यों ने इस ऑर्डिनेंस के रूपान्तर कानून के बारे में यहां जो वक्तव्य दिए हैं, मुझे खुशी है कि सभी लोगों ने इसका समर्थन किया है। इसके साथ-साथ कुछ समस्याएं जो चीनी मिलों और किसानों की हैं, उन्हें आज सदन और सरकार के सामने रखने की कोशिश की है।

महोदय, इस देश में टैक्सटाइल के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली अगर कोई इंडस्ट्री है, तो वह शुगर इंडस्ट्री है। यह एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, पूरे हिन्दुस्तान के गांवों में रहने वाले गरीबों को रोजगार देती है और इसका सबसे ज्यादा लाभ, देश का जो ग्रामीण हिस्सा है, वहां के लोगों को होता है।[r46]

हमारा देश दुनिया में शुगर के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। 6-7 साल पहले हमारा देश दुनिया में शुगर के उत्पादन में प्रथम स्थान पर था, लेकिन आज ब्राजील दुनिया में सबसे ज्यादा शुगर का उत्पादन करता है। ब्राजील की स्थिति और यहां की स्थिति में जमीन-आसमान का अंतर है। एक तो ब्राजील में जमीन ज्यादा है और आबादी कम है, जबकि हमारे देश में 80-81 प्रतिशत किसान दो हेक्टेयर के नीचे वाले हैं। मुझे नहीं लगता है कि ब्राजील में इस तरह के किसान होंगे। ब्राजील के और हमारे गन्ना उत्पादन में फर्क है। वहां का 70 फीसदी से ज्यादा गन्ना उत्पादन बारिश पर निर्भर है, लेकिन यहां के किसानों को गन्ने का उत्पादन करने के लिए पानी का प्रबन्ध करना होता है। वहां की लागत मूल्य भारत से बहुत कम है। वहां की चीनी मिलें किसानों को जो गन्ने का मूल्य देती हैं, वह भारतीय रूपये में आप तुलना करें तो चार सौ रूपये प्रति टन के आस-पास है, यानी 40 रूपये मन के आस-पास है। 30-40 रूपये प्रति मन जब गन्ने की कीमत थी तब उत्तर प्रदेश में मुझे जहां तक याद आता है, गेन्डा सिंह नाम के एक प्रभावी नेता हुआ करते थे। उन्होंने इसके लिए बहुत संघर्ष किया था। लेकिन आज 30-40 रूपये प्रति मन किसानों को स्वीकार करना नामुमकिन है। ब्राजील में चीनी मिलों की क्रशिंग कैपेसिटी 30 या 35 हजार टन के आसपास है, जबकि हिन्दुस्तान में एवरेज दो हजार टन के आसपास है। वहां 30-35 हजार टन क्रशिंग कैपेसिटी वाली चीनी मिल में ज्यादा से ज्यादा दो सौ लोग काम करते हैं, जबकि हमारे यहां 1200 से 1500 टन की क्रशिंग कैपेसिटी वाली मिल में आठ सौ या नौ सौ लोग काम करते हैं। इसलिए उनके साथ कम्पीट करना इस देश के गन्ना किसानों और चीनी उत्पादन करने वाली मिलों के लिए मर्यादित नहीं है, फिर भी इस देश के किसानों ने दुनिया में दो

नम्बर पर चीनी उत्पादन करने का एक रिकार्ड कायम किया है। हमारे देश की आवश्कयता को पूरा करने के लिए वे जो कुछ कर सकते हैं, वह करने पर उन्होंने ध्यान दिया है। शुरू में मोहन सिंह जी ने जो कहा, वह सच है कि चीनी उद्योग ऐसा है, जहां पांच साल का साइकिल होता है। वह डिमान्ड और सप्लाई पर निर्भर करता है और हमारे किसानों की आदत पर भी निर्भर करता है। शुरू के दो साल किसानों को अच्छी कीमत मिलती है। अच्छी कीमत मिलने से अच्छी पैदावार होती है। तीसरे साल कीमत कम होने का प्रोसेस शुरू होता है और चौथे और पांचवें साल इतनी कीमत कम हो जाती है कि किसान दूसरी फसल पर शिफ्ट होता है। इससे गन्ने का उत्पादन कम होता है, जिससे चीनी कम होती है, इसके बाद चीनी के दाम बढ़ते हैं, फिर गन्ने के दाम बढ़ते हैं और किसान फिर से खेत में गन्ना पैदा करता है। इस तरह का ट्रेन्ड हम कई सालों से इस देश में देख रहे हैं[r47]।

इस पर कोई बंधन लगाने की भी स्थिति नहीं है, क्योंकि किसानों को हम यह नहीं कह सकते कि आपको कौन सी फसल लेनी है। अमेरिका जैसे देशों में फसल कौन सी लेनी है, इसका निर्णय कई बार सरकार करती है कि व्हीट का टोटल प्रोडक्शन हमें इतना ही करना है, इतना ही क्षेत्र व्हीट के अन्दर लगना चाहिए, हर किसान को इतना ही व्हीट लगाना चाहिए। इस तरह का कोई कानून, कुछ कदम, कोई आदेश वहां की सरकार कर सकती है, पर अपने जैसे देश में यह नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो हमारे किसानों की ताकत बहुत कम है, क्षेत्र बहुत कम है, उनका परिवार इस पर चलाना मुश्किल है, जिसके बारे में इस सदन में भी कई बार चर्चा हुई है।

पिछले दो सालों में क्या हुआ, 2004-2005, 2005-2006 में इस देश में गन्ना पैदा करने वाले किसानों को जो कीमत मिली, वह शायद पिछले 50-60 सालों में कभी नहीं मिली थी और इसलिए जो हमेशा होता है, वह हो गया कि क्षेत्र बढ़ गया। पिछले साल से समस्या यह हो गई कि गन्ने का क्या करना है, किस तरह से इसको क्रशिंग करना है। कई राज्यों में, जहां अप्रैल मई तक चीनी मिल का सीजन चलता है, वहां की सरकार ने कदम उठाकर, दबाव डालकर चीनी मिल के मैनेजमेंट को कहा कि चाहे मई महीना हो, जून महीना हो या जुलाई महीने हो, आपको चीनी मिल चलानी चाहिए, भले ही इसके कारण बहुत बड़ा रिकवरी लॉस सहन करने की परिस्थिति आ जाये। लेकिन अगर यह नहीं करते तो वह गन्ना ऐसे ही क्षेत्र में रहता और दूसरी फसल लेने की ताकत बिल्कुल किसान की नहीं होती। इससे बड़ा भारी नुकसान अल्टीमेटली देश का होता। यह स्थिति होने के बाद आज मुझे दिखा रहा है कि शायद अगले साल इस देश में गन्ने का उत्पादन कम हो जायेगा। इस साल ही प्लांटेशन कम हुआ है, जो प्रक्रिया शुरू हुई है, अगले दो साल में चीनी की कीमत ऊपर जायेगी, गन्ने की कीमत बढ़ेगी, किसानों को दो पैसे मिलेंगे और फिर ज्यादा क्षेत्र में शायद किसान लगा सकते हैं।

कुछ न कुछ रास्ता इस बारे में हमें निकालना होगा। वह रास्ता कैसे हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अपना ही देश एक ऐसा देश है कि यहां गन्ना तैयार करने के बाद इससे हम चीनी ही बनाते हैं। आज दुनिया में सभी जगह पर चीनी उद्योग खाली चीनी नहीं बनाता है, वे इससे बिजली बनाते हैं, जैनरेट करते हैं, वे एथेनोल बनाते हैं, प्रिट बनाते हैं, एक्स्ट्रा न्यूट्रीशनल एल्कोहल बनाते हैं और कई जगह पर कागज भी बनाते हैं। इन सभी को मिलाकर जो कीमत आती है, इसका लाभ किसानों को भी मिल सकता है और इसका लाभ चीनी उद्योग को भी मिल सकता है, इसलिए भारत को छोड़कर दुनिया के बाकी देशों में स्थिति में बदलाव आ रहा है।

इसलिए 1982 में जब यह कानून बन गया, तब देश के सामने यह बात थी कि इतना बड़ा रोजगार देने वाले उद्योग को चलना चाहिए, वह माडर्न होना चाहिए, इसमें अच्छी तरह से किसानों को कल्टीवेशन करने की परिस्थिति पैदा करनी चाहिए, उनको गन्ने का ठीक तरह से सीड मिलना चाहिए। यह सब करने के लिए रुपये की लागत लगती है, उसकी उपलब्धि ठीक करने की आवश्यकता थी, इसलिए शुगरकेन डैवलपमेंट फंड का निर्माण हो गया। जो फंड उससे कलैक्ट किया गया, वह कंज्यूमर से कलैक्ट किया गया। आज भी 15 रुपये से 25 रुपये करने का यहां जो प्रस्ताव है, इसका असर चीनी की कीमत, जो चीनी खरीदने वाले आम आदमी है या परिवार है, उन पर पड़ेगा और उनको नौ या दस पैसे प्रति किलो ज्यादा देना पड़ेगा। प्रभु साहब ने यहां पर कहा कि आप यह बोझ इनके ऊपर क्यों डालते हैं। अगर हम यह उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे, चीनी का उत्पादन कम होगा तो अल्टीमेटली उपभोक्ताओं को इसकी जबरदस्त कीमत देनी पड़ती है। दो साल पहले हमने देखा कि चीनी की कीमत 20 रुपये से ऊपर चली गई थी।[R48] उसकी कीमत उपभोक्ता को देनी पड़ी। चीनी का एक स्टेबल प्रोडक्शन हो जाएगा, तो उनकी भी लूट नहीं होगी और ठीक कीमत पर चीनी उनके पास उपलब्ध होगी। इसलिए लांग टर्म कंज्यूमर का इंट्रेस्ट सेव करने के लिए, जो उत्पादन की आवश्यकता है, उसे मद्देनजर रखते हुए, हमें इसकी थोड़ी-बहुत जिम्मेदारी कंज्यूमर्स के ऊपर भी देने की आवश्यकता थी। सन् 1983 से, जब ये कदम उठाए, उसमें आज तक फर्क नहीं आया है। यह पूरी जिम्मेदारी कंज्यूमर्स पर रहती है।

यह फंड किसलिए तैयार किया? नंबर एक, इसमें राशि चीनी मिलों के पास उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि उनके कार्य क्षेत्र में जहां गन्ना पैदा होता है या अच्छी तरह से गन्ना तैयार होने के लिए पानी का प्रबंध वे कर सकें, उसके लिए, बोरिंग करने के लिए, लिफ्ट इरीगेशन नदियों से करने के लिए, पाइपलाइन और बाकी जो पानी लाने के लिए सुविधा देनी है, उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ सीड फार्म और सीडलिंग देने का भी बंदोबस्त भी कर सकते हैं। इन सब कामों के लिए इसका प्रबंध इसमें किया गया। आज तक जो भी पैसे चीनी मिलों को दिए, इनमें से 530 करोड़ रूपए केन डेवलपमेंट के लिए दिए। इसमें से सबसे ज्यादा हिस्सा को-आपरेटिव मिल्स के पास गया। को-आपरेटिव मिलों के मालिक खुद किसान हैं, 10-15-20 हजार किसान इकट्ठा होकर अपनी मिल शुरू करते हैं और इसका पूरा लाभ उनके पास जाता है। इस तरह से ये पैसे केन डेवलपमेंट के लिए दिए गए।

दूसरी, यहां से रकम चीनी मिल माडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन करने के लिए जाती है। इस क्षेत्र में आज दुनिया में कंपटीशन हो रहा है। इस कंपटीशन में हमारा सामना ब्राजील जैसे देश के साथ हो, तो हम अपनी मैन्युफैक्चिरंग कास्ट कैसे कम कर सकते हैं और चीनी मिल माडर्न किस तरह से कर सकते हैं, इसमें आटोमेटाइजेशन किस तरह से बढ़ सकता है, साथ ही साथ एलाइड इंडस्ट्रीज इसमें कैसे डेवलप कर सकती है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की परिस्थिति आती है, तब कहीं न कहीं से तो साधन तैयार करने की आवश्यकता होती है। इस तरह से शुगर डेवलपमेंट फंड से उसे मदद भी हो जाती है।

तीसरे, जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक एलाइड इंडस्ट्री, केवल चीनी बनाकर, हम इंटरनेशनल मार्केट में सामना नहीं कर सकेंगे और साथ-साथ इससे दूसरा भी जो पदार्थ बन सकता है, वह पैदा हम नहीं करें, तो इससे पूरे देश का नुकसान होता है। आज इससे, को-जेनरेशन से, बिजली तैयार करने का काम हो सकता है और साथ ही साथ हम इथेनॉल और स्पिरिट भी बना सकते हैं। अभी तक को-जेनरेशन तैयार करने के लिए, पावर तैयार करने के लिए, बिजली तैयार करने के लिए 350 करोड़ रूपए शुगर डेवलपमेंट फंड से अलग-अलग चीनी मिलों को दिए गए हैं। इथेनॉल के प्रोजेक्ट के बारे में डिसीजन हुआ और 32 करोड़ रूपए इथेनॉल के प्लान्ट्स लगाने के लिए आज तक दिए। इस बारे में कई एप्लीकेशंस हमारे पास पेंडिंग हैं। इससे एक नया रास्ता खुल रहा है। जो देश में स्टडी हुयी, इससे तीन हजार मेगावॉट से भी ज्यादा बिजली चीनी उद्योग से इस देश में तैयार हो सकती है। उस रास्ते पर अब हम लोग जा रहे हैं, इसलिए इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो शुगर डेवलपमेंट फंड है, इससे केन प्लांटेशन के मामले में हम मदद कर सकते हैं, प्लांट माडर्नाइजेशन के लिए मदद कर सकते हैं, डायवर्सिफिकेशन के लिए मदद कर सकते हैं। हर पांच साल के साइकल में जो दो या तीन साल का खराब समय आता है, उस समय चीनी उद्योग को बचाना किसानों के लिए आवश्यक बात होती है। [p49]

उन्हें उस समय कुछ न कुछ राहत देनी पड़ती है। पिछले दो साल जो बहुत खराब गए, उसमें कई चीनी मिलें न किसानों की कीमत दे सकीं, न मजदूरों की तनख्वाह दे सकीं। कई मिलें डिवीडैंट नहीं दे सकीं, ऐसी परिस्थिति आई। परिस्थिति इतनी खराब हुई कि देश के बैंक भी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनकी

पैदावार काफी बड़े पैमाने पर हुई। उनका माल पड़ा रहा, इंटरनेशनल मार्किट में उसकी कोई डिमांड नहीं थी। हम इंटरनेशनल मार्किट में ब्राजील, थाइलैंड, आस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसे देशों के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। लेकिन इस उद्योग को बचाना, अल्टीमेटली किसानों को भी बचाना, रोजी बचानी हो, रोजगार बचाना हो, ऐसी परिस्थिति में सरकार को कुछ न कुछ मदद करनी पड़ती है। सरकार ने सिर्फ चीनी उद्योग की मदद की है, ऐसा नहीं है। टैक्सटाइल इंडस्ट्री की डैवलपमैंट के लिए हजारों करोड़ रुपये का एक प्रोजैक्ट तैयार करके भारत सरकार ने उस इंडस्ट्री को राहत दी। देश में कुछ गिनी-चुनी स्टील मिलें हैं। जब वे स्टील मिलें बहुत संकट में थीं, तब भारत सरकार ने बैंकों को सलाह देकर उनके लिए एक अलग प्रस्ताव तैयार किया और स्टील मिलें बचाने की कोशिश की। यह सबसे ज्यादा रूरल इम्प्लॉयमैंट देने वाली इंडस्ट्री है, जिसका खेती से डायरैक्ट संबंध है। ऐसी इंडस्ट्री को बचाने के लिए कुछ न कुछ मदद करने की आवश्यकता है। इसलिए जिस साल हमारा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो, तब इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए भारत सरकार ने इससे पहले कुछ कदम उठाए। हमारे पास उत्पादन ज्यादा हो गया तो चीनी मिलों से लेकर सरकार ने पचास लाख टन का बफर स्टॉक किया। जो चीनी स्टॉक में रखी, उसके ऊपर जो इन्टरेस्ट एंड स्टोरिंग चार्जेस होते हैं, उसकी जिम्मेदारी सरकार ने ले ली। साथ ही जो इंटरनेशनल मार्किट में उतरना चाहते हैं, अपनी चीनी वहां भेजना चाहते हैं, जो राज्य समुद्र किनारे, पोर्ट से दूर हैं, उन्हें 1450 रुपये प्रति टन ट्रंसपोर्ट सहायता देने का काम सरकार ने किया। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि राज्य जो सागर के पास हैं, उन्हें सौ रुपये कम दिए गए क्योंकि उनकी ट्रंसपोर्ट कॉस्ट कम लगती है। इसलिए उन राज्यों को 1350 दिए गए। ऐसे कुछ कदम उठाए गए। लेकिन इसके साथ ही फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशन्स को भी डायरैक्शन दी गई कि आप उनके रीहैबीलिटेशन का प्रोग्राम करें। नाबार्ड, जो खेती और कृषि उद्योगों को मदद करने वाला बैंक है, उन्हें भी सूचना दी गई कि आप कोआपरेटिव मिलों की मदद कीजिए। उन्होंने भी रीहैबीलिटेशन का पैकेज तैयार किया। यह सब कुछ करने के बाद भी आज देश में 190 लाख टन चीनी की आवश्यकता है और देश में 280-290 लाख टन से भी ज्यादा चीनी उपलब्ध है। यदि ऐसी स्थिति रही तो आज नहीं तो कल, चीनी उद्योग बहुत संकट में आ जाएगा। जब चीनी मिलें बंद हो जाएंगी, तब किसानों के गन्ने को प्रोसेस करने का दूसरा कोई रास्ता नहीं रहेगा। गुड़ बन सकता है लेकिन गुड़ से देश की समस्या खत्म नहीं होगी। यदि हम किसी भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को प्रोसैस नहीं करेंगे तो किसानों को ठीक तरह से कीमत नहीं दे सकेंगे, देश को भी दो पैसे मिलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा और न ही इससे रूरल इम्प्लॉयमैंट बढ़ सकती है। इसलिए किसी भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के प्रोसैस के लिए जो भी किया जा सकता है, वे सब कदम उठाने की आवश्यकता है। चीनी उद्योग इस क्षेत्र का उद्योग है, इसलिए सरकार ने उसकी तरफ देखने का अलग नजरिया रखा है।

अभी जो नुकसान हो रहा है, उससे क्या होगा? हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने जो बताया, यह बात सच है कि इस साल उत्तर प्रदेश का चीनी उद्योग कई जगहों पर अपनी चीनी मिल शुरू करने की स्थिति में नहीं था, न ही शुरू करना चाहता था।[N50]

अगर गन्ना हारवेस्टिंग नहीं होता, तो देश की फूड मिनिस्ट्री का मंत्री के नाते, मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि यदि गन्ना नहीं कटेगा, तो वह जमीन क्षेत्र गेहूं के लिए ऐवेलेबल नहीं होगा। इससे गेहूं पर असर पड़ेगा और फिर उसे इम्पोर्ट करने की नौबत आयेगी। आज उत्तर प्रदेश खासतौर से वेस्टर्न यूपी इस देश में पंजाब, हरियाणा के बाद या उनके साथ-साथ गेहूं पैदा करने वाला बड़ा हिस्सा है। इसलिए वहां के गन्ने की क्रशिंग होने की आवश्यकता थी। जब वे मिल ही नहीं चलायेंगे, तो यह कैसे होगा। कई जगह किसानों ने अपने गन्ने को आग लगायी है, इस तरह की न्यूज भी अखबारों में आयी है। इसका भी बुरा असर होता है और यह नेशनल लॉस है। ये सब करने और चीनी मिलों की हालत कैसे दुरस्त कर सकते हैं, इस पर हमें ध्यान देना पड़ा। इसके साथ-साथ बड़े पैमाने पर चार हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जिसे किसानों को देने की आवश्यकता थी, उसे चीनी मिल दे नहीं पायी। वे रकम उन पर बकाया थी। इसलिए कुछ रास्ता निकालने के लिए हमने राज्य सरकार के साथ बातचीत की, तो एक सुझाव सामने आया कि इन चीनी मिलों को बैंकों से लोन देने का बंदोबस्त किया जाये । मगर बैंक्स इन इंडस्ट्रीज को बिल्कुल सहायता देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इनके नेटवर्क की जो आर्थिक ताकत थी, वह बिल्कुल नीचे चली गयी थी जिससे बैंक्स रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए कुछ जिम्मेदारी भारत सरकार को उठानी चाहिए, कुछ जिम्मेदारी राज्य सरकार को उठानी चाहिए और कुछ बैंकों को रिस्क लेना चाहिए, इस तरह का सुझाव आया। कई राज्यों ने इस पर परचेज टैक्स भी माफ कर दिया तथा कई और सहूलियतें भी दे दीं। भारत सरकार ने शुगर डेवलपमैंट फंड से यह पैसा रेज करना तय किया। अब बैंक्स से जो चीनी मिलें पैसा लेंगी, वे उसका सूद देने के लिए भी तैयार रहें। मैं सदन के सभी सदस्यों से एक बात बिल्कुल साफ करना चाहता हूं कि बैंक्स से जो पैसा चीनी मिलों को जायेगा, उन पर यह बंधन होगा कि वह पैसा सिर्फ किसानों को गन्ने की कीमत देने के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरी किसी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे पास एक सुझाव यह भी आया था कि किसानों की बकाया रकम देने के बाद यदि कुछ रकम बचती है, तो जो मजदूर वहां काम करने वाले हैं, उनकी तनख्वाह भी रही होगी, इसलिए इस बारे में भी सोचना चाहिए। साथ-साथ अगर फिर भी कुछ पैसे बच गये, तो बैंकों के ऋण देने के लिए भी इसे खर्च कर सकते हैं। मगर इस पर हमने अभी कुछ निर्णय नहीं लिया है। अभी विखे साहब ने जो सूचना दी, उस पर सरकार जरूर ध्यान देगी। मगर हमारी पहली प्रॉयरिटी किसानों को उनकी गन्ने की कीमत देने के लिए रहेगी। आज यही स्थिति है। कई सदस्यों ने यहां यह सवाल उठाया कि ये पैसे वहां जायेंगे, उस पर भरोसा क्या है? इसमें जो रूल्स बन रहे हैं, उसमें पैसे दो इंस्टालमैंट में वहां जायेंगे। सबवैंशन का पहला इंस्टालमैंट जाने के बाद, दूसरा इंस्टालमैंट देने से पहले, सभी चीनी मिलों को यह सर्टीफिकेट देना होगा कि ये पैसे उन्होंने किसानों को ही दिये हैं। उसे देने के बाद ही उसका दूसरा हिस्सा रिलीज हो जायेगा। साथ-साथ आज भारत सरकार का जो शुगर केन कंट्रोल आर्डर है, इसके एक सैक्शन में सुविधा है जिसके माध्यम से किसी चीनी मिल ने किसानों को 14 दिन में पैमेंट नहीं किया, तो उनको 14 परसेंट इंटरैस्ट देना पड़ता है। यदि यह इंटरैस्ट और पैमेंट देने के लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, तो भारत सरकार ने राज्य सरकारों को, राज्य सरकारों ने जिलाधिकारियों को पावर्स दी हैं कि आवश्यकता हो, तो वे चीनी मिलों की सम्पत्ति, मशीनरी और वहां की चीनी भी जब्त कर सकते हैं। [MSOffice51]

आज ये पूरे अधिकार राज्य सरकारों को दिए गए हैं। मुझे बताया गया है कि खास तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कुछ मिल मालिकों के लिए अरेस्ट वारन्ट्स भी जारी किए हैं और जब लोग कोर्ट्स में जाने लगे तो उन्हें स्टे आर्डर दिए गए हैं। लेकिन इससे यह फायदा हुआ है कि बकाया 4000 करोड़ रूपए से ज्यादा रकम में से लगभग 3000 करोड़ रूपए वापस किए गए हैं, फिर भी अभी 1,000 करोड़ रूपए रकम बाकी है। उनकी ओर हमारा ध्यान है और हमेशा रहेगा। हमने उनको कहा कि जल्दी से जल्दी पैसे रिकवर करके देने के लिए प्रबंध कीजिए, अगर पैसे नहीं दिए जाते हैं तो सख्ती से कदम उठाने के लिए आपको जो अधिकार दिए गए हैं, उनका इस्तेमाल करें और किसानों के पैसों का भुगतान कराएं। अगर यह नहीं होगा तो हम यह जो नई फेसिलिटी दे रहे हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। इस बारे में हमें जो प्रिकाशन्स लेने हैं, हम लेंगे।

चीनी उद्योग के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। खासकर उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड आदि कुछ राज्यों की परिस्थितियां देश के अन्य राज्यों से भिन्न हैं। पूरे देश में गन्ने की कीमत केन्द्र सरकार द्वारा तय की जाती है जिसे एसएमपी कहा जाता है। इसे भारत सरकार द्वारा तय किए जाने के बाद अन्य राज्यों द्वारा इस पर अमल किया जाता है। देश के तीन-चार राज्य ऐसे हैं, जिन्होंने इस दिशा में अपने अलग कानून बनाए हैं जिनमें उत्तर प्रदेश भी है। वहां भारत सरकार द्वारा तय की गई कीमत के आधार पर राज्य सरकार अपनी ओर से कीमत तय करती है। इससे एक बात अवश्य है कि दो पैसे किसानों को ज्यादा मिलते हैं, लेकिन पूरे देश के लिए जो नीति तय होती है, उसमें दो-तीन राज्यों की नीति अलग हो जाती है। इससे थोड़ी दिक्कत आती है और एक तरह से नुकसान होता है। लेकिन इस बारे में मैंने इन राज्यों के प्रमुखों की एक बार मीटिंग बुलाई थी, हालांकि उसमें आम सहमति नहीं हो सकी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिकार को स्वीकार किया है, इसलिए अब इस बारे में कोई दिक्कत नहीं है। यहां कुछ चीनी मिलों के अनुभवों को माननीय सदस्यों ने सदन कि सामने रखा है। कई जगह पर चीनी मिल ठीक नहीं चलती है, कई जगह पर पेमेंट नहीं होती है। मोतिहारी चीनी मिल का जिक्र माननीय सदस्य ने किया, हमने उसकी जांच की थी। यह मिल तीन-चार साल से बंद है। ऐसी मिलों को इसका कोई फायदा नहीं होगा। यह सुविधा केवल उन मिलों के लिए है जिन्होंने पिछले साल क्रशिंग की, चीनी की पैदावार की, उस पर उनको जो एक्साइज के लिए पैसा देना है, उस एमाउण्ट पर बैंक उनको लोन देगी और फिर हम उसका

इंट्रेस्ट देंगे। जिन चीनी मिलों ने उत्पादन ही नहीं किया, उनको इसका लाभ नहीं मिल सकेगा। ऐसी मिल को, वहां की सरकार द्वारा लिक्वीडेशन के लिए निकालकर कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। जहां तक मोतिहारी मिल की बात है, उन्होंने किसानों के पुराने पेमेंट नहीं दिए, इसलिए उनको नोटिस दी गयी। इसके बाद वहां के गन्ना पैदा करने वाले किसानों के संगठन ने पटना हाईकोर्ट में एप्लीकेशन दी। उसके बारे में पटना हाईकोर्ट ने निर्णय दे दिया और बिहार सरकार को इस पर ध्यान देने के लिए कहा। इसकी कीमत वसूली करने के लिए आर्डर दिए। इस आर्डर पर बिहार सरकार ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है, इसलिए शायद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की स्थिति बिहार सरकार के लिए बनने वाली है।[R52]

श्री सीताराम सिंह ने जो मोतीहारी चीनी मिल का मसला बताया, वह कोर्ट में है और कई सालों से वह चीनी मिल बंद है। इस परिस्थिति में हम उसे लाभ देने की स्थिति में नहीं हैं और हम मदद नहीं कर सकते। वहां की सरकार को कुछ न कुछ इस बारे में कदम उठाने चाहिए। उद्योग, रोजगार और किसानों को बचाने के लिए यह आवश्यक कदम उठाया गया है। मुझे विश्वास है कि सदन इसे स्वीकार करेगा और हम इस कानून के माध्यम से शूगर डवलपमेंट फंड में पैसा कलेक्ट कर सकेंगे। यह पैसा देश के लाखों-करोड़ों किसानों को राहत देने के काम आएगा। साथ ही साथ शूगर इंडस्ट्री को इंटरनेशनली कम्पीटिटीव बनाने में भी हम सहायता दे सकेंगे। मुझे विश्वास है कि सदन इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इस बिल को पास करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: शरद पवार जी, आप मोहन सिंह को यह रिक्वेस्ट करें कि वह अपना प्रस्ताव वापस लें।

श्री शरद पवार: उन्होंने शुरू में ही कहा था कि मैं इस पर जोर नहीं डालूंगा। आपने जो पहले प्रस्ताव दिया है, मैं अनुरोध करता हूं कि आप उसे वापस लें।

श्री मोहन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बहुत ही विस्तार के साथ सारी बातों का उत्तर दिया है। मैं चाहूंगा कि जो उन्होंने सदन में आश्वासन दिया है, उसकी पूर्ति इनके मंत्री रहते ही होगी। इस विश्वास के साथ, चूंकि मेरी मंशा इस विधेयक को निरस्त करने की नहीं थी, मंत्री जी ने भी सदाश्यता का परिचय दिया है, इसलिए मैं सदन की अनुमति से अपने इस प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Has the hon. Member Shri Mohan Singh leave of the House to withdraw his Statutory Resolution?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

The Statutory Resolution was, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That the Bill further to amend the Sugar Development Fund Act, 1982 and the Sugar Cess Act, 1982, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That clauses 2 to 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 1 Short Title and

Commencement

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

> पृष्ठ 1, पंक्ति 3 और 4 में,-
> "चीनी विकास निधि (संशोधन)
> अधिनियम, 2008" **के स्थान पर**"
>
> "चीनी विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2008"
>
> **प्रतिस्थापित** किया जाए। (1)

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने संशोधन मूव किया है इसलिए जो तकनीकी विषय है कि इस विषय पर क्यों यह संशोधन प्रस्तुत करना पड़ा। एक ही संशोधन है। हमारी जो स्थापित परम्परा है और विधायी कार्य की प्रक्रिया है, जहां एक से अधिक विधियां होंगी, एक ही विषय की होंगी, जो भी यहां बिल आते हैं, जैसे

The Taxation Laws (Amendment) Bill है, वह मैं लेकर आया हूं; The Produces Cess Laws (Amendment) Bill यह भी मैं लेकर आया हूं। The Marriage Laws (Amendment) Bill, 2001 यह भी मैं लेकर आया हूं; The Indian Divorce Act and The Parsi Marriage and Divorce Act है, यह भी मैं लेकर आया हूं; जो हिन्दू मैरिज एक्ट है, इनका संशोधन एक ही बिल में हो सकता है, लेकिन आप जो बिल लेकर आए हैं, उसके द्वारा दो अधिनियम हैं- एक शूगर डवलपमेंट फंड एक्ट, 1982 है, उसमें संशोधन लेकर आए हैं और दूसरा शूगर सैस एक्ट, 1982 है, उसका भी संशोधन खंड तीन में है। लेकिन उसे नाम दे दिया गया है शूगर डवलपमेंट फंड अमेंडमेंट बिल, 2008। जब हम विधेयक को पारित करेंगे, उसकी धारा एक बनेगी।[R53]

वह धारा (एक) यह बननी है कि "शुगर डेवलपमेंट फंड अमेंडमेंट एक्ट, 1982"। जो इतनी बड़ी गंभीर त्रुटि हुई है, मैं यह नहीं कहता कि माननीय मंत्री जी ने त्रुटि की है, कानून मंत्रालय ने इसकी वेटेज देखी होगी, वहां से त्रुटि हुई है, फिर भी चूंकि माननीय मंत्री जी इसके इंचार्ज हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि इसे देखते। ठीक है, माननीय मंत्री जी ने खेल को काफी बढ़ावा दिया है, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं, वहां समय लगा होगा, लेकिन यहां हम इस सर्वोच्च सदन में विधेयक को प्रस्तुत करें तो यह स्थापित है कि आने वाले समय में, जहां भी यह जो सेस-एक्ट है, उसका अमेंडमेंट विद-ड्रा हो सकता है या फिर अगर एक ही नेचर के हैं, जैसे मैंने अभी उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल, 1973 में आया था, सीआरपीसी, आईपीसी एंड एवीडेंस एक्ट अमेंड हुए थे और ये स्थापित रूल है कि एक से अधिक बिल अगर होगा तो आपको लॉज लेकर आना होगा। लेकिन आप लेकर आये हैं "शुगर डेवलपमेंट फंड"। यह इतनी बड़ी त्रुटि है, इसका निदान करना चाहिए और मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार करें। मैंने सहयोग किया है ताकि सरकार और सदन को सहयोग हो। आप अपनी ओर से अमेंडमेंट लेकर आयें क्योंकि यह ऑन-रिकार्ड हमेशा के लिए रहेगा कि इस तरह की एक ग्रॉस-नैगलिजेंस हुई है, प्रथम-दृष्टया यह घोर लापरवाही का द्योतक है। इसमें सदन की ओर से, अध्यक्ष पीठ की ओर से निर्देश जाना चाहिए कि हमेशा विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व उसकी जो अंतरवस्तु है, उसे देखा जाना चाहिए। यह न केवल हमें और सत्ता पक्ष को प्रभावित करता है बल्कि यहां जो भी माननीय सदस्य उपस्थित हैं वे इस बात को स्वीकार करेंगे कि हम जो भी बिल पास करें, उसके समर्थन में विषय-वस्तु उसके अंदर है। यह तकनीकी प्रश्न है, इसलिए या तो आप इसे राज्य सभा में लेकर जाएं, वहां अमेंडमेंट लेकर आयें या इसमें यह कर सकते हैं कि "शुगर डेवलपमेंट फंड अमेंडमेंट बिल एंड शूगर सेस अमेंडमेंट बिल" इसके ऊपर बिल के हैडिंग में जोड़ें या फिर आप नीचे जो धारा (एक) लेकर आयेंगे, वहां भी आपको इसे जोड़ना पड़ेगा। कुल मिलाकर यह जो डिफैक्ट है, इस डिफैक्ट को रिमूव होना चाहिए। इसलिए मैं अपने संशोधन पर पूरा-पूरा बल देता हूं और उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी, सहयोग का रुख अपनाते हुए, मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि सदन में यह किसी भी पक्ष से आये, आप लेकर आयें तो हम समर्थन करेंगे, हमने किया है तो आप समर्थन कीजिए, सदन का कार्य हो जाएगा और सदन की गरिमा रहेगी और विधायी प्रक्रिया और विधायी कार्य की गंभीरता भी आगे के लिए बनी रहेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD PAWAR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, it is difficult to accept this proposed suggestion. The suggestion is, "in page 1, line 2, 'for Sugar Development Act, 2008', substitute 'Sugar Law Amendment Act, 2008'" In fact, this particular law is there for a number of years with the same name. There is no law titled as Sugar Law Act. The proposed Bill seeks to amend the Sugar Development Fund Act, 1982 and the Sugar Cess Act, 1982. The Sugar Development Fund Act seeks to provide finance to the activities for the development of the sugar industry. The Sugar Cess Act, 1982 was enacted for the imposition of the cess on sugar for the development of the sugar industry. In other words, both the Acts have been enacted for the development of the sugar industry by way of providing the Sugar Development Fund. The sugar cess collected as provided by the Parliament was to constitute a fund for the development of the sugar industry.

Therefore, it was thought proper to keep the title of the Bill as Sugar Development Fund (Amendment) Bill, 2008. Moreover, after passing the Bill, the proposed amendment will be incorporated in the respective Acts. The proposed amendment at the title of the Bill would not affect the legislative intention and that is why it is very difficult for me to accept the hon. Member's suggestion. So, I appeal to him that he should withdraw this amendment.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now he has given a detailed reply. So, you may withdraw your amendment.

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने अभी जो वक्तव्य दिया है वह स्वीकार करने योग्य इसलिए नहीं है कि कोई शुगर लॉज एक्ट पहले से है, ऐसा हमारा कहना नहीं है। जो माननीय मंत्री जी ने रिप्लाई दिया है, मिसलीडिंग रिप्लाई दिया है, उससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप फिर इसमें संशोधन करेंगे।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I shall now put amendment No. 1 moved by Shri Bachi Singh Rawat 'Bachda' to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.[R54]

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is:

"That Clause 1, the Enacting Formula and the Tile be added to the Bill."

The motion was added

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI SHARAD PAWAR: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.